चेन्नै लहर

वर्ष : 2023-24

अंक : 18

आदियोगी शिव, कोयंबत्तूर

कपालेश्वर मंदिर, चेन्नै

नेशनल आर्ट गैलरी, चेन्नै

सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै, तमिलनाडु

सामाजिक सुरक्षा ESIC SOCIAL SECURITY

क.रा.बी.निगम के 73वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी के कर कमलों से बड़े कार्यालयों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री जी.वी.किरण कुमार, अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक।

सत्यमेव जयते

चेन्नै लहर

अंक : 18

वर्ष : 2023-24

संरक्षक

जी.वी.किरण कुमार

अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक

संपादक

श्याम सुंदर कथूरिया

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

सह-संपादक

राजेश शर्मा

उप निदेशक (राजभाषा)

रचनात्मक सहयोग

ब्रजेश कुमार

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

रोहित कुमार झा

आशुलिपिक

टंकण सहयोग

लोकेश कुमार

अवर श्रेणी लिपिक

धनंजय पाण्डेय

बहुकार्य स्टाफ

प्रकाशक

क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
143, स्टर्लिंग रोड, नुंगम्बाक्कम, चेन्नै, तमिलनाडु - 600034

दूरभाष : 044-28306300
फैक्स : 28238559

ई-मेल- rd-tamilnadu@esic.gov.in
वेबसाइट- https://rotamilnadu.esic.gov.in/

ई-पत्रिका
https://tinyurl.com/chennai-lehar
पीडीएफ
https://tinyurl.com/chennailehar

नोट - पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं, उनसे संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है तथा लेखों/रचनाओं की मौलिकता के लिए लेखक/रचनाकार स्वयं उत्तरदायी हैं। पत्रिका में इण्टरनेट पर उपलब्ध चित्रों का साभार उपयोग किया गया है।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय सूची	रचनाकार (श्री/सुश्री)/संदर्भ	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	महानिदेशक	3
2	संदेश	बीमा आयुक्त (राजभाषा)	4
3	संरक्षक की कलम से...	अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक	5
4	संपादकीय...	श्याम सुंदर कथूरिया	6
5	निगम में प्रचलित प्रोत्साहन योजनाएं/प्रतियोगिताएं	राजेश शर्मा	7-14
6	नराकास प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत कार्मिक	छायाचित्र	15
7	क.रा.बी.योजना की पृष्ठभूमि	रिपोर्ट	16
8	खबरदार-मुझे गुस्सा आ जाता है	डॉ. गौतम चक्रवर्ती	17-19
9	निगम द्वारा प्रदत्त विशिष्ट चिकित्सा उपचार राशि	डॉ. एस. सुब्रमण्यम	20
10	बीमाकृत व्यक्ति से प्राप्त पत्र	मूल पत्र एवं अनुवाद	21
11	जी-20 सम्मेलन की सार्थकता	विकाश कुमार	22-23
12	बनूं मैं सागर	संजीव कुमार	24
13	केंद्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में क्षे.का.,चेन्नै का उत्कृष्ट प्रदर्शन	रिपोर्ट एवं छायाचित्र	25
14	सबक	जयंत कुमार	26-27
15	क.रा.बी.निगम अस्पताल, तिरुपुर का उद्घाटन	झलकियाँ	27
16	क.रा.बी.योजना को बेहतर बनाने के उपाय	टी. राघव कृष्णा	28-29
17	जीवन के पहलू	आशीष कुमार	30
18	माँ	मनीष कुमार	30
19	निगम में प्रयुक्त बीमा एवं राजस्व शब्दावली	शब्दावली	31
20	कार्यालय में हिंदी कामकाज कैसे बढ़ाएँ	त्रिभुवन कुमार	32-33
21	कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति	रिपोर्ट	34-35
22	ई-ऑफिस में हाइपर लिंक का प्रयोग	रोहित कुमार झा	36-37
23	बड़ा संकट-जीवन को खतरा	आर. निरंजना	38-39
24	राजभाषा पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह	रिपोर्ट	40-43
25	राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिक	सूची	44-45
26	क्षेत्रीय कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम	झलकियाँ	46
27	महिला सशक्तीकरण	ई-शक्ति	47
28	संकल्प शक्ति का महत्त्व	विकाश कुमार	48-49
29	सेवानिवृत्ति विशेष	रिपोर्ट	50
30	सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023	छायाचित्र	51
31	हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव	श्याम सुंदर कथूरिया	52-56

संदेश

डॉ. राजेंद्र कुमार, भा.प्र.से.
पीएच.डी. (एमआइटी, यू.एस.ए)
महानिदेशक

DR. RAJENDRA KUMAR, I.A.S.
Ph.D. (MIT, U.S.A.)
Director General

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

संख्या : ए-49/17/1/2016-रा.भा.

दिनांक : 13.10.2023

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै अपनी गृह पत्रिका **'चेन्नै लहर'** (अंक-18) का प्रकाशन करने जा रहा है। कार्यालय द्वारा गृह पत्रिका का प्रकाशन करना न केवल भारत सरकार द्वारा सतत चलाए जा रहे राजभाषा के प्रचार-प्रसार और उसे बढ़ावा देने के प्रति हमारे कर्तव्य को प्रकट करता है वरन रचनाकारों को अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर कागज पर उकेरने हेतु प्रेरित भी करता है।

पत्रिका प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को शुभकामनाएँ।

राजेन्द्र कुमार

(डॉ. राजेन्द्र कुमार)

श्री जी. वी.किरण कुमार
अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
क.रा.बी.निगम
चेन्नै

संदेश

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Tel. : 011-23604740
Website : www.esic.gov.in

रत्नेश कुमार गौतम
बीमा आयुक्त

संख्याः ए-49/17/3/2016-रा.भा.
दिनांकः 13.10.2023

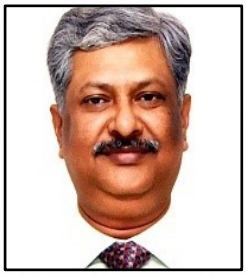

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की गृह पत्रिका **'चेन्नै लहर'** के 18वे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के द्वारा कर्मिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम तो मिलता ही है, हिन्दी के प्रति उनकी रुचि भी और अधिक बढ़ती है। उनके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है जिसका सुप्रभाव उनके कार्यालयीन कामकाज पर भी पड़ता है।

आशा है **'चेन्नै लहर'** अपने इस उद्देश्य में सफल रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

रत्नेश कुमार गौतम

(रत्नेश कुमार गौतम)

श्री जी.वी.किरण कुमार
अपर आयुक्त-सह- क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
क.रा.बी. निगम
चेन्नै।

जी.वी.किरण कुमार
अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक

संरक्षक की कलम से...

आप सभी को कार्यालय की वार्षिक गृह पत्रिका 'चेन्नै लहर' के 18वें अंक की अमूल्य प्रति भेंट करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है।

मैंने जुलाई, 2023 में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने कार्यालय में राजभाषा गतिविधियां आयोजित होते हुए देखा और पाया कि कार्यालय के कार्मिक हिंदी कामकाज में रुचि लेते हैं और वे हिंदी सीखना चाहते हैं। इस कार्य में राजभाषा शाखा सक्रिय रूप से सभी को आवश्यक सहयोग भी प्रदान कर रही है।

मुझे गर्व है कि तमिलनाडु क्षेत्र के कार्मिक अपने कामकाज को बड़ी निष्ठा से करते हैं। इसी का परिणाम है कि निगम मुख्यालय ने बड़े क्षेत्रीय कार्यालयों की श्रेणी में बेहतर कार्य निष्पादन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र खेल-कूद में भी अग्रणी है। हाल ही में पुणे में संपन्न हुई केंद्रीय खेल -कूद प्रतियोगिताओं में यहां के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में तमिलनाडु का नाम रोशन किया है।

इसी प्रकार मुझे आशा है कि यह पत्रिका भी श्रेष्ठता की कसौटी पर खरी सिद्ध होगी।

श्याम सुंदर कथूरिया
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

संपादकीय

सुधी पाठको,

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की हिंदी पत्रिका 'चेन्नै लहर' का यह अंक आपको समर्पित करते हुए असीम संतोष की अनुभूति हो रही है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से तमिलनाडु 'ग' क्षेत्र का राज्य है। दक्षिण भारत के हिंदीतर भाषी चेन्नै महानगर में हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत रूप से कम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदी पत्रिका का प्रकाशन करना थोड़ा चुनौती भरा प्रतीत होता है। चूंकि भारत सरकार की राजभाषा नीति अनुसार हिंदी पत्रिका प्रकाशन से कार्यालय में राजभाषा हिंदी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। इसलिए पत्रिका के इस अंक को प्रकाशित करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। अपनी दैनंदिन कार्य व्यस्तता में से बहुमूल्य समय निकालकर कुछ कार्मिकों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।

इस पत्रिका के रचनाकारों का प्रदर्शन दर्शाता है कि यहां के कार्मिकों में भी हिंदी के प्रति रुचि है और वे हिंदी में कार्य करना चाहते हैं। हिंदी में खुलकर कार्य न करने का कारण, हिंदी के प्रति झिझक या संकोच ही है। अपनी रुचि अनुसार पत्रिका की सामग्री लिखने या पढ़ने से कार्मिकों में हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। इससे हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

पत्रिका में सूचना प्रौद्योगिकी, सृजनात्मक लेख, कविता, निबंध, राजभाषा संबंधी अपेक्षित जानकारी आदि के अतिरिक्त कार्मिकों द्वारा तैयार कला चित्र भी समाविष्ट हैं। इस पत्रिका की विशिष्टता यह भी है कि इसकी साज-सज्जा एवं संयोजन राजभाषा कार्मिकों द्वारा ही किया गया है।

हम सब जानते हैं की हिंदी जोड़ने का काम करती है। यह पत्रिका भी पाठकों और लेखकों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। आपसे निवेदन है कि आप इस पत्रिका को अंत तक अवश्य पढ़िए और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवगत कराइए ताकि आगामी अंक को बेहतर एवं समृद्ध बनाया जा सके।

सादर!

निगम में प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं/प्रतियोगिताओं के सुगम आयोजन में सहायक आवश्यक बिंदु

राजेश शर्मा
उप निदेशक (राजभाषा)
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा, हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सदैव सजग एवं प्रयत्नशील रहा है। निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने एवं हिंदी में किए गए कार्य के लिए सम्मानित करने हेतु निगम द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाओं/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उक्त योजनाओं एवं प्रतियोगिताओं के लिए निगम द्वारा स्पष्ट मानदंड, निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तथापि उक्त के कार्यान्वयन के दौरान कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निगम में प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं एवं प्रतियोगिताओं के मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम - हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना

1. यह एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना है।
2. इस योजना का आयोजन कैलंडर वर्ष के आधार पर किया जाता है।
3. योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान निर्धारित प्रतिशतता में हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है।

प्रोत्साहन राशि : ₹600/- प्रत्येक **प्रोत्साहन पुरस्कारों की संख्या** : कोई सीमा नहीं...

प्रतिभागिता –

- अवर श्रेणी लिपिक और उच्चतर स्तर के सभी कर्मचारी तथा अधिकारी।
- चिकित्सा/परा-चिकित्सा/तकनीकी स्टाफ-यदि वे पूरा वर्ष यथा निर्धारित प्रतिशतता में हिंदी टिप्पण/आलेखन का कार्य करने पर इस आशय का प्रमाण पत्र देते हैं और पुरस्कार की अन्य शर्तें पूरी करते हैं।
- यथा निर्धारित प्रतिशतता में हिंदी टिप्पण/आलेखन कार्य करने पर ही बहुकार्य स्टाफ और निजी स्टाफ को पुरस्कार के लिए पात्र समझा जाए।
- राजभाषा अधिकारी एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी इस योजना में भाग नहीं ले सकते।
- कैलंडर अवधि के बीच में (वर्ष आरंभ हो चुकने के बाद) कार्यग्रहण करने वाले नवनियुक्त कार्मिक उक्त वर्ष की योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- शाखा कार्यालयों में तैनात कार्मिक भी संबंधित नियंत्रक कार्यालय में आवेदन भेजकर उपर्युक्त योजना में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे उक्त निर्धारित प्रतिशतता में हिंदी में टिप्पण/आलेखन का कार्य करते हों।

पात्रता –

- 'क' क्षेत्र –पूरे वर्ष 100 प्रतिशत कार्यालयी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारी और अधिकारी
- 'ख' क्षेत्र – पूरे वर्ष 75 प्रतिशत से अधिक कार्यालयी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारी और अधिकारी
- 'ग' क्षेत्र – पूरे वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक कार्यालयी कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारी और अधिकारी

आवेदन की विधि –

- मुख्यालय द्वारा नियत एवं राजभाषा शाखा द्वारा परिचालित प्रपत्र में आवेदन।

- आवेदन नियंत्रक अधिकारी से अनिवार्यतः प्रति हस्ताक्षरित हो।
- आवेदन में कार्य की अवधि पूरे कैलंडर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसंबर) को पूर्ण करे।
- यदि आवेदक ने इस अवधि में एक से अधिक शाखाओं/कार्यालयों में कार्य किया है तो उक्त शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों से संयुक्त रूप से पूरी कैलंडर अवधि की गणना की जाए।
- कर्मचारी/अधिकारी के किसी भी प्रकार की सवैतनिक छुट्टी के कारण आवेदक के दावे पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम - हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के लिए प्रविष्टि प्रपत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम और पदनाम :
अधिकारी/कर्मचारी संख्या :
अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल नं. एवं ई-मेल पता :
शाखा (वीओआइपी संख्या सहित) :
अवधि : 01 जनवरी 20..... से 31 दिसंबर ..... तक

अधिकारी/कर्मचारी (आवेदक) द्वारा घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष ..... के दौरान मैंने टिप्पण/आलेखन में निर्धारित प्रतिशतता (100, 75 तथा 50 प्रतिशत) ..... में/से अधिक कार्यालयी कार्य हिंदी में किया है। इस अवधि में मैंने न तो केवल टंकण/डायरी-डिस्पैच का कार्य किया है और न ही मैं राजभाषा शाखा में तैनात था।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर**

नियंत्रण/रिपोर्टिंग अधिकारी के मुहर सहित प्रति हस्ताक्षर

योजना के अंतर्गत पात्र कार्मिकों के चयन की विधि-

- निगम के विभिन्न कार्यालय/अस्पताल प्रतिभागी कार्मिकों को देय पुरस्कार का निर्णय पूर्व निर्धारित प्रतिशतता के परिप्रेक्ष्य में अपने स्तर पर करेंगे।
- निर्णय लेने के लिए प्रशासन अधिकारी, लेखा अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी (राजभाषा अधिकारी न होने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी) की मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- समिति प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के उपरान्त अपनी अनुशंसा देगी।
- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार की स्वीकृति मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर सहमति के पश्चात ही की जाए।
- पुरस्कार का निर्णय प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक कर लिया जाए तथा पुरस्कार स्वीकृति के पश्चात पुरस्कृत कार्मिकों की सूची मुख्यालय को भेजें।
- पुरस्कार राशि को प्रशासनिक व्यय (402) अन्य खर्च (40203) – विविध (4020322) लेखा मद 402032200000002-विविध व्यय में बुक किया जाए।

संदर्भ/स्रोत

1. ए-49/14/1/87-हिंदी, दिनांक 27.03.1987
2. ए-49/16(1)/2002-रा.भा., दिनांक 18.12.2002
3. ए-49/16/1/2010-रा.भा. खण्ड फा.-1, दिनांक 26.12.2011
4. ए-49/12/02/2012-रा.भा., दिनांक 04.01.2013
5. एक-49/16/1/2013-रा.भा., दिनांक 28.05.2014
6. ए-49/16/1/2017-रा.भा., दिनांक 19.07.2017

मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना

1. यह एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना है।
2. इस प्रोत्साहन योजना का आयोजन वित्त वर्ष के आधार पर किया जाता है।
3. प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया जाता है।

पुरस्कार राशि और पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार राशि	कुल पुरस्कार राशि
1	प्रथम	02	₹ 5,000/-	₹ 10,000/-
2	द्वितीय	03	₹ 3,000/-	₹ 9,000/-
3	तृतीय	05	₹ 2,000/-	₹ 10,000/-
	कुल	10		₹ 29,000/-

प्रतिभागिता –

- टिप्पण-आलेखन का कार्य करने वाले अवर श्रेणी लिपिक और उच्चतर स्तर के सभी कर्मचारी और अधिकारी।
- बहुकार्य स्टाफ/चिकित्सा/परा चिकित्सा/तकनीकी स्टाफ- यदि उन्होंने अपेक्षित न्यूनतम टिप्पण-आलेखन कार्य किया हो।
- राजभाषा अधिकारी एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी इस योजना में भाग नहीं ले सकते।
- आशुलिपिक/टंकक जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
- शाखा कार्यालयों में तैनात कार्मिक भी संबंधित नियंत्रक कार्यालय में आवेदन भेजकर उपर्युक्त योजना में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे अपेक्षित न्यूनतम हिंदी टिप्पण/आलेखन का कार्य करते हों।
- पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी पुरस्कार के हकदार होंगे यदि वे मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन का कार्य करते हों।

पात्रता -

'क' क्षेत्र – वर्ष भर में न्यूनतम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी और अधिकारी

'ख' क्षेत्र – वर्ष भर में न्यूनतम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी और अधिकारी

'ग' क्षेत्र – वर्ष भर में न्यूनतम 10,000 शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी और अधिकारी

* शब्दों की गणना में मूल टिप्पण और प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य, जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे- रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

आवेदन की विधि

- इच्छुक प्रतिभागियों को राजभाषा विभाग/मुख्यालय द्वारा नियत एवं राजभाषा शाखा द्वारा परिचालित प्रपत्र में हिंदी में किए गए कार्य का रिकॉर्ड रखना होगा।
- प्रपत्र में दर्ज प्रविष्टियाँ (सप्ताह में एक बार) नियंत्रण अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- यदि आवेदक ने इस अवधि में एक से अधिक शाखाओं/कार्यालयों में कार्य किया है तो उक्त शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त संयुक्त रिकॉर्ड के आधार पर आंकड़ों की गणना की जाएगी।

योजना के अंतर्गत पात्र कार्मिकों के चयन की विधि-

- निर्णय लेने के लिए प्रशासन अधिकारी, लेखा अधिकारी एवं राजभाषा/प्रभारी राजभाषा अधिकारी की मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पदनाम ..... कर्मचारी सं. ..... द्वारा माह ..... के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण। मातृभाषा : .....

क्र.सं.	तिथि	हिंदी में किए गए कार्य की फाइल एवं रजिस्टर संख्या	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/ आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्य		नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				विवरण	शब्दों की सं.	
1	2	3	4	5	6	7

- मूल्यांकन करने के लिए 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए तथा 30 अंक विचारों को ठीक तरह से प्रस्तुत करने, शब्द चयन और लिखने की शैली के लिए निर्धारित होंगे।
- हिंदी में लिखे गए एक लाख शब्दों के लिए 50 अंक दिए जाएंगे। एक लाख शब्दों से अधिक लिखे गए प्रत्येक पाँच हजार शब्दों के लिए एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। परंतु इस प्रकार प्राप्त कुल अंक 70 से ज्यादा नहीं होंगे।
- हिंदी में लिखे गए शब्द एक लाख से कम होने पर प्रति 5000 कम हिंदी शब्दों के लिए एक अंक कम कर दिया जाएगा।
- कार्यालयाध्यक्ष की स्वीकृति के उपरांत सभी अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कृत कार्मिकों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाए।
- प्राप्त आवेदनों की समीक्षा तथा सत्यता आदि की जांच के उपरांत समिति सभी पुरस्कारों के लिए प्राप्तांकों के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी।
- पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा कार्ड में भी समुचित उल्लेख किया जाए।

संदर्भ/स्रोत

1. 11/12013/3/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 16.02.1988
2. ए-49/11/6/99/-हिंदी, दिनांक 08.07.1999
3. 11/12013/18(93)-रा.भा., दिनांक 03.01.2023
4. ए-49/11/6/99, दिनांक 20.01.2006
5. 11/12013/01/2011-रा.भा. (नीति/के.अनु.ब्यूरो), दिनांक 30.10.2012
6. ए-49/16/3/2016-रा.भा., दिनांक 02.04.2018

अधिकारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन (डिक्टेशन) प्रोत्साहन योजना

1. यह एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना है।
2. इस प्रोत्साहन योजना का आयोजन वित्त वर्ष के आधार पर किया जाता है।
3. प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान हिंदी में दिए गए श्रुतलेखन के आधार पर पात्र अधिकारी का चयन किया जाता है।

पुरस्कार राशि – हिंदी और हिंदीतर भाषी वर्ग के लिए ₹5000/- प्रत्येक

पुरस्कारों की संख्या- 1) अखिल भारतीय स्तर पर (कार्यालयाध्यक्षों के लिए) – एक हिंदीतर और एक हिंदी भाषी
2) प्रत्येक कार्यालय स्तर पर (शेष अधिकारियों के लिए) – एक हिंदीतर और एक हिंदी भाषी

प्रतिभागिता-

- सहायक निदेशक (समकक्ष) और उच्चतर स्तर के सभी अधिकारी
- चिकित्सा/परा-चिकित्सा/तकनीकी अधिकारी- यदि उन्होंने अनुसचिवीय कार्य करते हुए अपेक्षित संख्या में श्रुतलेखन दिया हो।
- राजभाषा अधिकारी इस योजना में भाग नहीं ले सकते।

- इस प्रोत्साहन योजना में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक (चिकि.) /निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक आदि कार्यालय प्रमुख भी भाग ले सकते हैं।
- हिंदी भाषी श्रेणी से तात्पर्य उन अधिकारियों से है, जिनका घोषित निवास स्थान 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत हो और हिंदीतर भाषी श्रेणी से तात्पर्य उन अधिकारियों से है, जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो।

पात्रता-

- प्रतियोगिता अवधि में न्यूनतम 100 श्रुतलेखन दिए गए हों।
- आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियाँ भी डिक्टेशन मानी जाएगी। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेशन की गणना नहीं की जाएगी।
- कंप्यूटर पर बोलकर लिखवाया गया पत्र भी श्रुतलेख माना जाएगा।

आवेदन की विधि :

- इच्छुक प्रतिभागी अधिकारियों को राजभाषा विभाग/मुख्यालय द्वारा नियत एवं राजभाषा शाखा द्वारा परिचालित प्रपत्र में हिंदी में दिए गए श्रुतलेख का रिकॉर्ड रखना होगा।
- आवेदक को अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए उक्त रिकॉर्ड श्रुतलेख के न्यूनतम 10 नमूनों (अनिवार्य) के साथ राजभाषा शाखा को भेजना होगा।
- यदि आवेदक ने इस अवधि में एक से अधिक शाखाओं /कार्यालयों में कार्य किया है तो उक्त सभी शाखाओं /कार्यालयों में दिए गए श्रुतलेखन के आंकड़ों की गणना की जाएगी।
- कार्यालय प्रमुखों को अपने तत्संबंधी रिकॉर्ड मुख्यालय भेजने होते हैं और मुख्यालय में इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर बीमा आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जाती है।
- शेष अधिकारियों के लिए यह योजना मुख्यालय एवं प्रत्येक क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/ अस्पताल/निदेशालय (चिकित्सा) में कार्यालय स्तर पर स्वतंत्र रूप से आयोजित की जाती है तथा डिक्टेशन रिकॉर्ड की जांच संबंधित कार्यालय स्तर पर की जानी अपेक्षित है।

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या	फाइल संख्या	अभ्युक्ति

योजना के अंतर्गत पात्र अधिकारियों के चयन की विधि-

- निर्णय लेने के लिए प्रशासन अधिकारी, वित्त अधिकारी एवं राजभाषा/प्रभारी राजभाषा अधिकारी की समिति का गठन किया जाएगा।
- प्राप्त आवेदनों की समीक्षा तथा सत्यता आदि की जांच के उपरांत समिति अपनी अनुशंसा देगी।
- कार्यालयाधयक्ष की स्वीकृति के उपरांत अनुशंसित अधिकारी/अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- पुरस्कृत अधिकारियों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाए।

संदर्भ/स्रोत

1. 11/12013/1/89-रा.भा. (क-2), दिनांक 06.03.1989
2. ए-49/14/16/89-हिं., दिनांक 26.11.2001
3. ए-49/16/4/99-हिंदी, दिनांक 25.04.2012
4. ए-49/16/4/99-रा.भा., दिनांक 17.01.2013
5. ए-49/16/5/2013-रा.भा., दिनांक 17.04.2014
6. ए-49/16/5/2013-रा.भा., दिनांक 02.04.2018

अग्रेजी टंककों द्वारा हिंदी में टंकण/आशुलिपि करने के लिए प्रोत्साहन योजना

1. यह एक मासिक प्रोत्साहन योजना है।
2. योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलंडर माह के दौरान अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में अपेक्षित टंकण/आशुलिपि करने वाले अंग्रेजी टंककों, अवर/प्रवर श्रेणी लिपिकों एवं आशुलिपिकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रोत्साहन राशि : ₹160/- प्रतिमाह टंककों के लिए एवं ₹240/- प्रतिमाह आशुलिपिकों के लिए

- यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- वह योजना जिसके अंतर्गत हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं, जारी रहेंगी। परंतु जब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलने लगेगा तब से अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

प्रोत्साहन पुरस्कारों की संख्या : कोई सीमा नहीं

प्रतिभागिता-

- अंग्रेजी टंकक एवं अंग्रेजी आशुलिपिक।
- टंकक की परिभाषा के अंतर्गत निगम कार्यालयों में तैनात अवर श्रेणी लिपिक एवं प्रवर श्रेणी लिपिक दोनों आते हैं।
- शाखा कार्यालय में तैनात कार्मिक भी संबंधित नियंत्रक कार्यालय में आवेदन भेजकर उपर्युक्त योजना में भाग ले सकते हैं। बशर्ते वे उक्त निर्धारित मात्रा में हिंदी टिप्पणी/आलेखन का कार्य करते हों।

पात्रता-

- औसतन पांच टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही हिंदी में टंकित करने वाले अंग्रेजी टंकक, अवर श्रेणी लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक एवं आशुलिपिक।
- केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियां इसमें शामिल नहीं होंगे।

आवेदन की विधि-

- मुख्यालय द्वारा नियत एवं राजभाषा शाखा द्वारा परिचालित प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन।
- प्रमाण-पत्र नियंत्रण अधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- संबंधित अंग्रेजी लिपिक/आशुलिपिक दोनों भाषाओं में कार्य शुरू करने से प्रारंभिक छह महीनों के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रतिमाह, उसके पश्चात प्रत्येक तीन माह में एक बार राजभाषा शाखा को भेजेंगे।

हिंदी प्रोत्साहन भत्ता पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पदनाम ..... कर्मचारी सं. ..... शाखा ..... ने ..... से ..... तक की अवधि में अपने काम का कुछ भाग हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण में किया। हिंदी में किए गए काम की मात्रा, उपर्युक्त मास में औसतन पांच टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन/उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियों/प्रारूप/पत्र से कम नहीं थी।

आवेदक के हस्ताक्षर

संबंधित नियंत्रण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

योजना के अंतर्गत पात्र कार्मिकों के चयन की विधि-

- राजभाषा शाखा आवेदकों के दावों की पुष्टि करके कार्यालय अध्यक्ष को अपनी अनुशंसा देगी।
- कार्यालय अध्यक्ष की स्वीकृति से सभी अनुशंसित लिपिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

संदर्भ/स्रोत

1. एफ.14012/55/76-रा.भा.(ग), दिनांक 12.08.1983
2. 13017/4/90-रा.भा.(नी.स.), दिनांक 28.07.1998
3. ए-49/16(6)/93-हिं., दिनांक 27.10.1998
4. ए-49/16/3/2003-रा.भा., दिनांक 13.07.2011
5. ए-49/16/4/2012-रा.भा., दिनांक14.12.2012
6. 13034/12/2009-रा.भा.(नीति), दिनांक 06.05.2014
7. ए-49/16/4/2012-रा.भा., दिनांक 02.04.2018

राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताएँ

- आयोजन की अवधि : प्रत्येक वर्ष राजभाषा पखवाड़े (14 सितंबर से 29 सितंबर) के दौरान
- आदर्शतः प्रतियोगिताओं का आयोजन एक ही दिन करने की बजाय अलग-अलग दिन इस प्रकार किया जाए कि हिंदी दिवस समारोह (14 सितंबर) तक सभी प्रतियोगिताएं पूर्ण करके उक्त समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जा सके।

प्रोत्साहन राशि और पुरस्कारों की संख्या-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	लिखित/ मौखिक	पुरस्कार का स्तर	प्रतियोगिता की श्रेणी			
				हिंदी भाषी		हिंदीतर भाषी	
				पुरस्कारों की सं.	पुरस्कार राशि (₹)	पुरस्कारों की सं.	पुरस्कार राशि (₹)
1	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	लिखित	प्रथम	01	1800/-	01	1800/-
			द्वितीय	01	1500/-	01	1500/-
			तृतीय	01	1200/-	01	1200/-
			प्रोत्साहन	02	500/- प्रत्येक	02	500/- प्रत्येक
2	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	प्रश्न पत्र पर आधारित	प्रथम	01	1800/-	01	1800/-
			द्वितीय	01	1500/-	01	1500/-
			तृतीय	01	1200/-	01	1200/-
			प्रोत्साहन	02	500/- प्रत्येक	02	500/- प्रत्येक
3	राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता	लिखित रूप में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर	प्रथम	01	1800/-	01	1800/-
			द्वितीय	01	1500/-	01	1500/-
			तृतीय	01	1200/-	01	1200/-
			प्रोत्साहन	02	500/- प्रत्येक	02	500/- प्रत्येक
4.	हिंदी वाक् प्रतियोगिता	मौखिक	प्रथम	01	1800/-	01	1800/-
			द्वितीय	01	1500/-	01	1500/-
			तृतीय	01	1200/-	01	1200/-
			प्रोत्साहन	02	500/- प्रत्येक	02	500/- प्रत्येक

प्रतिभागिता-

- राजभाषा शाखा/राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर इन प्रतियोगिताओं में अन्य सभी संवर्ग के नियमित अधिकारी/चिकित्सा/परा-चिकित्सा/ तकनीकी स्टाफ/ एमटीएस आदि भाग ले सकते हैं।

प्रतिभागिता की श्रेणी :

- हिंदी तथा हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा।
- प्रतियोगियो के हिंदी भाषी अथवा हिंदीतर भाषी का वर्गीकरण मातृभाषा के आधार पर ही किया जाएगा। श्रेणी वर्गीकरण करते

समय प्रतियोगी विशेष की हिंदी की शैक्षणिक योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाएगा।

- प्रतियोगिताओं का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाना श्रेयस्कर होगा।
- सभी प्रतियोगिताओं में किसी भी भाषा वर्ग में भाग लेने के लिए न्यूनतम निर्धारित प्रतिभागी संख्या कोरम की बाध्यता नहीं है।
- प्रत्येक प्रतियोगिता में पुरस्कार हेतु न्यूनतम 33% उत्तीर्णांक आवश्यक होंगे
- उपर्युक्त पुरस्कार निगम कार्यालयों के संबंधित प्रशासनिक प्रधान/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत स्वीकृत किए जाएंगे।
- हिंदी भाषी वर्ग में 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के भाषा-भाषी (मातृभाषा) तथा हिंदीतर भाषी वर्ग में 'ग' क्षेत्र के भाषा-भाषी (मातृभाषा) सम्मिलित होंगे।
- हिंदी भाषी प्रतिभागियों का मूल्यांकन हिंदी भाषी के साथ और हिंदीतर भाषी का मूल्यांकन हिंदीतर भाषी के साथ होगा।

संदर्भ/स्रोत

1. ए-49/16(2)/92-हिं., दिनांक 30.10.2007
2. ए-49/16/3/2012-रा.भा., दिनांक 27.07.2012
3. ए-49/16/1/2013-रा.भा., दिनांक 14.06.2013
4. 11034/15/2015-रा.भा.(नीति), दिनांक 01.09.2015
5. ए-49/17/3/2015-रा.भा./खंड, दिनांक 18.12.2015
6. 11034/15/2015-रा.भा.(नीति), दिनांक 26.02.2016

राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना

- यह एक वार्षिक पुरस्कार योजना है।
- इस योजना का आयोजन वित्त वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) के आधार पर किया जाता है।
- योजना अवधि में प्राप्त ऐसे चयनित सुझावों पर नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है, जिन्हें निगम में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो।

पुरस्कार राशि और पुरस्कारों की संख्या :

अधिकतम : ₹3000/- न्यूनतम : ₹600/- कुल पुरस्कार राशि रुपये : ₹12,000/-

प्रतिभागिता -

- सभी अधिकारी तथा सभी कर्मचारी।
- चिकित्सा/परा-चिकित्सा/गैर-चिकित्सा/तकनीकी/गैर-तकनीकी/एमटीएस आदि सभी अधिकारी/कर्मचारी।
- निगम कार्यालयों में तैनात हिंदी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

पात्रता -

- योजना अवधि में मुख्यालय को प्राप्त ऐसे सभी सुझाव जो निगम में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी हों।

आवेदन की विधि -

- कार्मिक अपने सुझाव अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।

अपात्र सुझाव का चयन -

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी।
- समिति की सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।
- उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाए।

संदर्भ/स्रोत

1. ए-49/16/11/94-हिं., दिनांक 18.01.2006
2. ए-49/11/3/2007-रा.भा., दिनांक 17.04.2014
3. ए-49/16/3/2007-रा.भा., दिनांक 02.04.2018

संशय की स्थिति में अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिए राजभाषा विभाग/मुख्यालय, क.रा.बी.निगम से संपर्क करें। ■

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चेन्नै द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के पुरस्कृत कार्मिक

वर्ष 2022

आशुभाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करतीं सुश्री के.एस.पवित्रा, सहायक

निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते श्री एस.बी. निरैंदवन, सहायक

शब्दशक्ति प्रतियोगिता में प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करते श्री रोहित कु.झा, आशुलिपिक

वर्ष 2023

शब्दशक्ति प्रतियोगिता में प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करते श्री विजय कु.यादव, प्र.श्रे.लि.

शब्दशक्ति प्रतियोगिता में प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करते श्री रोहित कु.झा, आशुलिपिक

टिप्पण-प्रारूपण में प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करते श्री एस.बी.निरैंदवन, सहायक

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की पृष्ठभूमि

संसद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन स्वतंत्र भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पहला बड़ा विधान था। यह वह समय था, जब उद्योग नवजात अवस्था में थे तथा देश विकसित अथवा तेजी से विकासशील देशों से आयातित माल के संग्रह पर बहुत अधिक आश्रित था। विनिर्माण प्रक्रियाओं में जनशक्ति की तैनाती कुछ चुने हुए उद्योगों, जैसे- जूट, वस्त्रोद्योग, रसायन आदि तक सीमित थी। देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत कच्ची अवस्था में, हालांकि कामगारों की संख्या सीमित थी तथा भौगोलिक विभाजन था, पूर्णतया बहु-आयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन तथा विकास पर विधान स्पष्टतया सामाजिक-आर्थिक उन्नति की ओर उल्लेखनीय कार्य था। भारत ने इसके होते हुए भी इस प्रकार सांविधिक प्रावधानों के माध्यम से कामगार वर्ग को संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

क.रा.बी.अधिनियम, 1948 में सामान्यतया कामगारों को होने वाली कतिपय स्वास्थ्य संबंधी संभावित घटनाएं शामिल हैं, जैसे- बीमारी, प्रसूति, अस्थायी अथवा स्थायी निःशक्तता, रोजगार चोट के कारण व्यावसायिक बीमारी अथवा मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की पूर्ण अथवा आंशिक हानि। ऐसी आकस्मिकताओं में परिणामी शारीरिक अथवा वित्तीय विपत्ति को संतुलित करने अथवा नकारने के लिए अधिनियम में बनाए गए सामाजिक सुरक्षा उपबंध का लक्ष्य समाज को सामाजिक रूप से उपयोगी तथा उत्पादक जनशक्ति के अवधारण तथा निरंतरता से समर्थ बनाते हुए वंचन, अभाव तथा सामाजिक अवनति से सुरक्षा के माध्यम से संकट के समय मान-मर्यादा कायम रखना है।

इतिहास

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 24 फरवरी, 1952 को योजना का उद्घाटन कानपुर, उत्तर प्रदेश में किया। विजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थल पर पंडित जी ने पं. गोविन्द वल्लभ पंत, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; बाबू जगजीवन राम, केन्द्रीय श्रम मंत्री; राजकुमारी अमृत कौर, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री; श्री चन्द्रभान गुप्त, केन्द्रीय आहार मंत्री और डॉ. सी.एल. कटियाल, क.रा.बी. निगम के पूर्व महानिदेशक की उपस्थिति में 70,000 लोगों के विशाल जन समूह को हिंदी में सम्बोधित किया।

योजना को एक साथ दिल्ली में भी प्रारंभ किया गया और दोनों केन्द्रों के लिए आरम्भिक व्याप्ति 1,20,000 कर्मचारियों की थी। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री योजना के पहले मानद बीमाकृत व्यक्ति थे और घोषणा प्रपत्र पर किए गए उनके हस्ताक्षर निगम की महत्त्वपूर्ण धरोहर है।

यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्त्वपूर्ण होगा कि यह योजना 1944 में जब पहली सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में विकसित हुई तब यहाँ ब्रिटेन की सरकार थी। प्रो. बी.पी. अदारकर, प्रतिष्ठित विद्वान और स्वप्नद्रष्टा के नेतृत्व में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में सामाजिक बीमा पर प्रथम दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। रिपोर्ट का भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना के एक सुयोग्य दस्तावेज और अग्रदूत के रूप में स्वागत किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रो. अदारकर को छोटा बेवरिज के रूप में अभिस्वीकृत किया। सभी जानते हैं कि सर विलियम बेवरिज सामाजिक बीमा के उच्च पुरोहितों में से एक हैं। रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और प्रो. अदारकर 1946 तक सक्रिय सहयोगी बने रहे। अपने वियोजन के समय उन्होंने आई.एल.ओ. के विशेषज्ञों द्वारा योजना का प्रबन्ध कराने की पुरजोर वकालत की। 1948 में लंदन में एक विख्यात भारतीय डॉक्टर सी.एल. कटियाल ने क.रा.बी.निगम के प्रथम महानिदेशक का कार्यभार संभाला और वे 1953 तक योजना को कुशलता से चलाते रहे।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के कालवृत में 24 फरवरी एक महत्त्वपूर्ण दिन है। इसके बाद फिर योजना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क.रा.बी.निगम का प्रतीक चिह्न "प्रज्वलित पंचदीप" इस योजना की भावना का सच्चा प्रतीक है जो भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से निराशा को आशा में बदलकर और विपत्ति के समय सहायता प्रदान करके कामगारों के असंख्य परिवारों के जीवन में रोशनी लाता है। ■

खबरदार – मुझे गुस्सा आ जाता है

डॉ. गौतम चक्रवर्ती
चिकित्सा अधीक्षक
क.रा.बी.निगम अस्पताल, बरेली

वैसे तो मुझे लोग नेक इंसान के रूप में जानते हैं। किसी को आँख दिखाना या डांटना ये सब मेरे बस की बात नहीं हैं, विशेष रूप से अगर व्यक्ति थोड़ा भी मिजाजदार हो तो मैं उसका सहर्ष सम्मान करता हूँ, इसलिए मेरे साथ किसी की टकराहट नहीं। जीवन की गाड़ी अपनी गति से पटरी पर प्यार से चल रही थी। खतरा हुआ एक रविवार सुबह, बेटे पल्टु को अध्ययन में सहायता करने से। चलो, इस पर प्रकाश डालते हैं।

छुट्टी की मस्ती लेने, चाय और अख़बार लेकर जैसे ही मजे से बैठा, अंदर से युद्ध की घोषणा हो गई।

"भोले बाबा बनकर, दिमाग में धुआं डालने से होगा क्या? बच्चों की पढ़ाई तो गई गड्ढे में। मैं और कितनी तरफ देखूं?"

जरा सोचिए जनाब! आप मेरी जगह पर होते तो गुस्से से कितना तड़प उठते। शायद आपकी जबान और दिमाग के जोड़ खुल जाते और चिल्लाकर न जाने आप क्या-क्या बोल देते, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर में रहना है तो समझ कर ही चलना चाहिए। पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया जा सकता।

अनुभव मायने रखता है। सब तुरंत समझ गया, माहौल गड़बड़ है। कभी भी, किसी भी दिशा से आक्रमण हो सकता है। आजकल पाकिस्तान सीमा वाले गाँव के लोगों के जीवन और मेरे जीवन के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। गोलियां कभी भी बरस सकती हैं, नियति!

अख़बार छोड़कर, बेटे पल्टु को बुलाया। पल्टु तैयार था। वह तुरंत एक कॉपी लेकर उपस्थित हो गया। मुँह देखकर पता चला कि बेचारे बाप के प्रति वह सहानुभूतिपूर्ण ही है, परंतु वह भी आज मजबूर है। उसका भी छुट्टी के दिन बाहर जाकर खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। मैंने चुपके से पूछा- क्या हुआ रे? मम्मी सुबह से इतना चिड़ी हुई क्यों है? कामवाली ने आज भी छुट्टी मार दी क्या? परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए क्या?

वैसे तो पल्टु और मेरा संबंध सौहार्दपूर्ण ही है, क्योंकि हम दोनों ही एक-दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। न मैं उसकी किताब लेकर बैठता हूँ, न वह मेरा टेलीविजन टाइम बिगाड़ता है। हम दोनों के बीच एक अलिखित संधि है। ऊपर से मैं 'लोट-पोट' आदि बाल-पत्रिकाओं की आपूर्ति श्रीमान के लिए करता ही रहता हूं। पर आज वह भड़क उठा– 'अनुत्तीर्ण क्यों होऊंगा?' विद्यालय ने एक निबंध लिखने को कहा है, जिससे मां रूठी हुई है।

मैं आश्वस्त हुआ, ओह यही मुद्दा है। तो ठीक है, बता किस बारे में है निबंध। सच बताता हूं, निबंध के विषय ने मुझे भी चौंका दिया – "किससे तुम्हें गुस्सा आता है?"

अजीब है! कोई सातवीं कक्षा का छोटा बच्चा, कैसे यह लिख पाएगा। पल्टु मेरे मुँह का हाव-भाव देखकर कुड़कुड़ाने लगा। आप ही बताओ पापा, ऐसी रचना कोई लिखने को देता है क्या? मेरे अध्यापक बिलकुल पागल हैं। कहते हैं- 'रचना, तुम्हारे मन के भाव प्रकट करने के लिए तथा अपने दिमाग की खिड़की खोलकर झाँकने के लिए होती है और ये अभी से सीखो!'

अध्यापक को पागल बोलने पर मुझे पल्टु को डाँटना चाहिए था। परंतु मैं हैरान हो गया, इस विषय ने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच में, तुम किससे खुश होते हो, ये फिर भी लिखा जा सकता है, परंतु तुम्हें किससे गुस्सा आता है?

खैर पल्टु और मैं बैठ गए, यह ढूंढ़ने के लिए कि क्या-क्या पल्टु को गुस्सा दिलाता है? एक बात जानकर तो आज मैं बिलकुल चौंक गया कि किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना करना, पल्टु को बहुत गुस्सा दिलाता है (आपने पढ़ लिया ना! शायद आपके घर का पल्टु भी ऐसे ही सोचता होगा)। काफी सिर खपाने के बाद हम बाप-बेटे ने एक मसौदा बना लिया। पल्टु की

समस्या सुलझती देख-सुन के मालकिन खुश हई। रविवार का मध्याह्न भोजन निर्विघ्नता से प्राप्त हुआ।

परंतु मेरे मन में हिचक होने लगी कि यदि इस मुद्दे पर मुझे कुछ लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? बाहर से मालूम नहीं चलता, परंतु अंदर से अकसर रूठ जाता हूं। आस-पास के लोगों की करतूतें प्रायः मुझे गुस्सा दिलाती हैं।

जैसे, मान लीजिए सुबह कार्यालय जाने के समय ऑटो रिक्शा की कतार में खड़ा हूं, परंतु लोग अधिक और वाहन कम हैं। जब मेरी बारी आई, तभी एक आदमी अपने बच्चे को लेकर भागता हुआ आया और विनती करने लगा – बच्चे को विद्यालय के लिए देर हो रही है, कृपया मुझे चढ़ने दीजिए। तो मेरा स्वाभाविक प्रश्न रहा, देर क्यों हुई? उन्होंने कहा– बच्चे नींद से उठना नहीं चाहते। छोटे बच्चे को देखकर पीछे की जनता स्नेह से द्रवीभूत हो गई। लोग बोलने लगे – अरे जाने दीजिए। बच्चा विद्यालय जा रहा है। मजबूरी में जाने देना पड़ा, परंतु अंदर-ही-अंदर मैं आग बबूला हो गया। गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे देर हो रही है। गुस्सा इस बात पर कि यह कैसा बाप है? वह यह नहीं सीखा रहा है कि जीवन में अनुशासन कैसे लाएं और समय प्रबंधन कैसे करें? अपितु सिखा रहा है कि चतुरता से कैसे हावी होना है। यह बच्चा बड़ा होकर भले ही अपनी गली-मोहल्ले का दादा बन जाए, परंतु आत्मसम्मान वाला सच्चा इंसान बनने की कभी कोशिश नहीं करेगा।

जब देखता हूं, पाँचवीं या सातवीं कक्षा के छात्र के विद्यालय का बस्ता उसकी मां ले जा रही है और बच्चा खाली हाथ जा रहा है, तब मन में सवाल खड़ा होता है। मां की ममता बेटे को आश्रित और आलसी तो नहीं बना रही है?

पड़ोसी के घर गया तो देखा, कार्यालय से थका हुआ बाप लौटता है तो बच्चा हाथ से बैग लेने के लिए दौड़ कर नहीं आता, अपितु वह टीवी के कार्टून शो में मस्त रहता है। पानी पूछना तो छोड़ ही दो। मैं यह सोचकर परेशान हो जाता हूं कि हम अगली पीढ़ी को कितना असंवेदनशील बना रहे हैं।

मुझे गुस्सा आ जाता है, जब देखता हूं कि बच्चे को शांत रखने के लिए अभिभावक उसे अपना मोबाइल फोन या वीडियो गेम्स खेलने के लिए दे देते हैं। अकेलेपन का नशा तो आप लोग दिला रहे हो, कल तो यह पक्का असामाजिक बनेगा। जीवन की कठिनाइयाँ तो हकीकत हैं, इन्हें झेलना ही पड़ेगा। परंतु यह बच्चा कल दूसरों के साथ सुख-दुख बाँटकर आंधी-तूफान का सामना नहीं कर पाएगा, बल्कि मैदान छोड़कर भागेगा। अपने लिए जगह ढूंढ़ेगा, शायद अकेलेपन की जंजीर में तड़पेगा। तब आप अभिभावक कहां होंगे?

देखकर हैरान हो जाता हूं, जानबूझकर लोग कोल्ड ड्रिंक्स/सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और बच्चे को भी पिलाते हैं। कुरकुरे आदि पर कोई पाबंदी नहीं। फिर बच्चों के चिकित्सक के पास जाकर उनका सिर खाते हैं कि बच्चा क्यों जल्दी-जल्दी बीमार हो जाता है?

गुस्सा आने के कितने कारण गिनाऊं – बाप बच्चे को गोद में लेकर सिगरेट पीते हैं, कोई ख्याल नहीं। अप्रत्यक्ष धूम्रपान या बुरी आदत के कितने नुकसान हैं। मां बच्चे को लेकर रास्ते पर चल रही है, मोबाइल पर बातें करते हुए। बच्चा चल रहा है, मानो गाड़ियों के खतरे की कोई परवाह नहीं। वाहन चलाते समय तो लगता है कि सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सब पागल हैं। कभी कुछ

भी कर सकते हैं, रास्ते में चलते समय या सड़क पार करते समय, अपनी मन-मरजी तो स्वाभाविक है। गाड़ी आप चला रहे हो तो आपके लिए खतरा है, बाकी सब मस्त हैं।

यह तो स्वाभाविक दृश्य है कि पेय जल बह रहा है, क्योंकि लोग जरूरत का पानी लेने के बाद नल बंद करने का थोड़ा-सा भी कष्ट नहीं उठाते।

घर में भी यही हाल है, वॉश बेसिन का नल खोलकर हजामत करते हैं। कौन बोलेगा, विश्व का अधिकांश हिस्सा पेय जल की कमी से जूझ रहा है। लगता है, सतत विकास केवल किताबी भाषा है।

तथाकथित शिक्षित लोग जब राजनीतिक विचार-विमर्श से बचकर चलते हैं, तब गुस्सा आता है। अरे, सिर्फ मतदान में अंगूठा दबाने से आपका दायित्व पूरा नहीं होता। सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर जब आम जनता अपनी पसंद-नापसंद व्यक्त करती है, तभी नेताओं को पता चलता है और वे आपकी पसंद के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। अंततः उनके लिए भी तो आपके मत का ख्याल रखना मजबूरी होती है, परंतु होता है क्या?

अधिकतम मध्यमवर्गीय लोग अपने मत का परिहार करते हैं। इसलिए नेता समझ नहीं पाते या अमल नहीं करते। गुस्सा तो इस बात का भी है कि 140 करोड़ देशवासियों के देश का बदनसीब इतना है कि मतदान भी एक प्रहसन ही है। उम्मीदवारों की उम्मीद का ठिकाना लगाने की अगर सूची बनाई जाए तो तालिका में सबसे ऊपर आते हैं, फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्रियां। जो जितना लच्छेदार, वह उतना आगे। बाहुबली आदि पता नहीं, जनता जनार्दन इन उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखती है। मुझे तो भीड़तंत्र अधिक दिखाई देता है, गणतंत्र से। इधर हम सब जन फेसबुक, व्हाट्सअप आदि सोशल मीडिया में कितना कुछ अनुभव प्रकट करते रहते हैं परंतु 'धर्म', 'आरक्षण' जैसा कोई दाहक मुद्दा होने से मुकर जाते हैं। अप्राप्ति या असमानता से नाराजगी हम अंदर ही अंदर बढ़ने देंगे, परंतु एक दूसरे को समझने-समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। दबाने से चाहे कल हमें ज्वालामुखी उद्गार ही न सहना पड़े।

बाजार, अर्थव्यवस्था, उपभोक्तावाद आज के जमाने में हकीकत है, परंतु गुस्सा तब आता है, जब देखता हूं कि गुटखे आदि का विज्ञापन इतने सुचारू ढंग से दिखाते हैं, जैसे सफल व्यक्ति होने का राज़ ही है– 'शिखर' आदि का सेवन।

चलो, बहुत हो गया, अब तो बस करूं, नहीं तो आप जैसा सुशील एवं प्रशांत व्यक्ति भी शायद गुस्से से भड़क उठेगा।

कृपया गुस्सा मत होइए! आपके स्वास्थ्य के हितार्थ श्रीमद्भगवद् गीता का एक संदर्भ आपके साथ साझा कर लेता हूं-

'नरक के तीन द्वार हैं- काम, क्रोध और लोभ'।

अच्छा! कहे गए विषयों से आप सहमत हैं? आपको भी गुस्सा आता है क्या? उम्मीद है आप ये सब मानते हैं, परंतु गुस्सा नहीं करते, अपितु दूसरों को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं।

धन्यवाद! आपका प्रयास अगर छोटा भी है, तो भी दमदार है। अंधेरे में छोटा-सा दीपक भी कमाल की रोशनी लाता है। आज दुनिया में महान बनने की चाहत तो हर एक में है, परंतु पहले इंसान बनना अकसर लोग भूल जाते हैं। ■

निगम द्वारा प्रदत्त विशिष्ट चिकित्सा उपचार राशि

डॉ. एस. सुब्रमण्यम
राज्य चिकित्सा अधिकारी
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

उच्च लागत वाले उपचार मामलों (HCT Cases) को ऐसे मामलों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी व्यय की कुल लागत प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक होती है। यदि बीमाकृत व्यक्ति और उसका परिवार मुख्यालय द्वारा निर्धारित अंशदायी शर्तों के अनुसार पात्र है तो क.रा.बी.निगम ऐसी बीमारियों के इलाज का खर्च वहन करता है। वर्तमान में 2 मरीज़ राज्य चिकित्सा अधिकारी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के माध्यम से उच्च लागत वाले उपचार का लाभ उठा रहे हैं।

गौचर रोग (Gaucher disease) में शरीर के कुछ अंगों, विशेष रूप से प्लीहा और यकृत (spleen and liver) में कुछ वसायुक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इससे ये अंग बड़े हो जाते हैं और उनके कार्य में बाधा आती है। ये वसायुक्त पदार्थ हड्डी के ऊतकों में भी जमा हो जाता है, जिससे हड्डी कमजोर हो जाती है और अस्थिभंग का जोखिम बढ़ जाता है। सुश्री संगीता पुत्री श्री नागराजन, पिछले 5 वर्षों से क.रा.बी.निगम के माध्यम से इस बीमारी की दवा ले रही है और निगम ने वर्ष 2018 से 2023 तक साढ़े चार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च किया है। इस साल भी मुख्यालय ने अगले छह महीने के लिए 35,90,080/-+माल और सेवा कर की मंजूरी दे दी है। यह इलाज रोगी के लिए जीवन भर या जब तक वह बीमाकृत व्यक्ति पर निर्भर हो, जारी रहेगा।

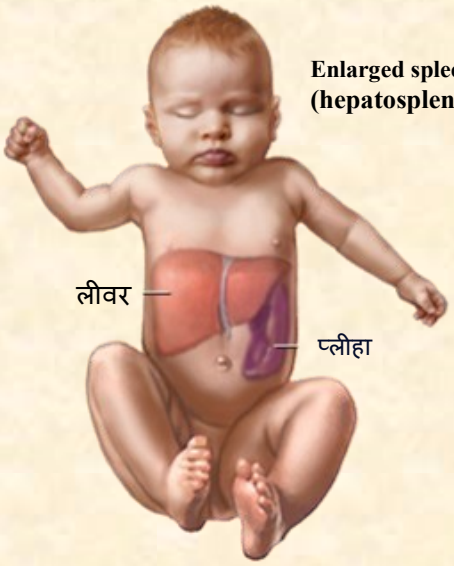

Enlarged spleen and liver (hepatosplenomegaly)

रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष (SMA) एक गंभीर बीमारी है, जो सबसे अधिक शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। इसे एसएमए नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं को खराब कर देती है। कुमारी धनुश्री पुत्री श्री कृष्ण इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के कारण उनकी मांसपेशियां काफी ज्यादा कमजोर हो गई हैं और वह सामान्य गतिविधियां भी नहीं कर पाती है। उन्होंने क.रा.बी.निगम के माध्यम से आवश्यक दवा की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। इस वर्ष निगम मुख्यालय ने इस मरीज के संबंध में 6 महीने के लिए आवश्यक दवा की खरीद हेतु 23,29,600/- रुपये की मंजूरी दे दी है, जो आवश्यकता रहने तक जारी रहेगी।

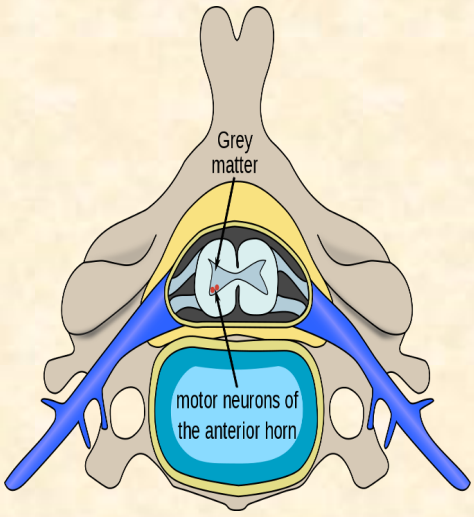

क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै उच्च लागत वाले उपचार मामलों पर सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बीमाकृत व्यक्ति को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इस योजना से काफी लाभ मिलता है। ■

बीमाकृत व्यक्ति से प्राप्त पत्र

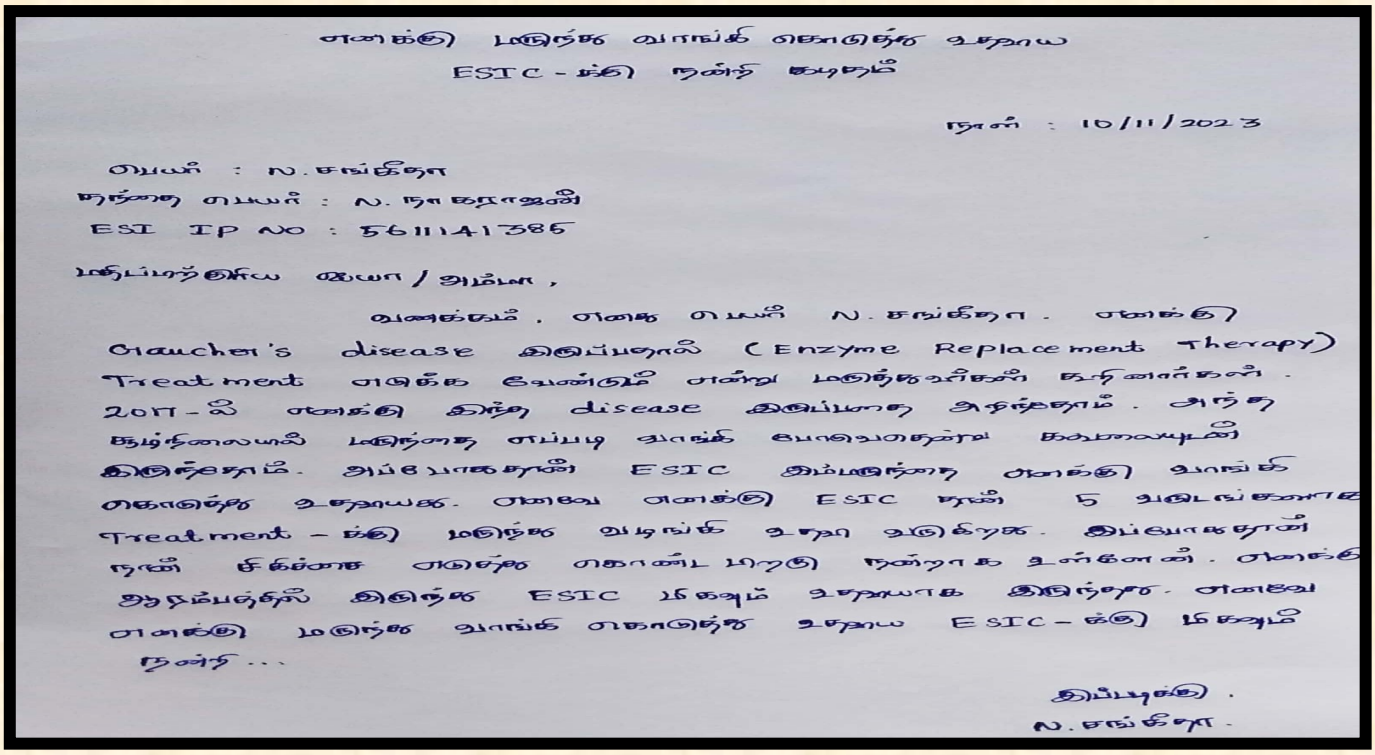

எனக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்து உதவிய
ESIC-க்கு நன்றி கடிதம்

நாள் : 10/11/2023

பெயர் : N. சங்கீதா
தந்தை பெயர் : N. நாகராஜன்
ESI IP NO : 5611141385

மதிப்பிற்குரிய ஐயா / அம்மா,

வணக்கம். எனது பெயர் N. சங்கீதா. எனக்கு Gaucher's disease இருப்பதால் (Enzyme Replacement Therapy) Treatment எடுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறினார்கள். 2017-ல் எனக்கு இந்த disease இருப்பதை அறிந்தோம். அந்த சூழ்நிலையில் மருந்தை எப்படி வாங்கி போவதென்று கவலையுடன் இருந்தோம். அப்போதுதான் ESIC இம்மருந்தை எனக்கு வாங்கி கொடுத்து உதவியது. எனவே எனக்கு ESIC தான் 5 வருடங்களாக Treatment-க்கு மருந்து வழங்கி உதவி வருகிறது. இப்போதுதான் நான் சிகிச்சை எடுத்து கொண்ட பிறகு நன்றாக உள்ளேன். எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து ESIC மிகவும் உதவியாக இருந்தது. எனவே எனக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்து உதவிய ESIC-க்கு மிகவும் நன்றி...

இப்படிக்கு.
N. சங்கீதா.

उपर्युक्त पत्र का तमिल से हिंदी अनुवाद

दवा खरीदने में मेरी सहायता करने के लिए क.रा.बी.निगम को धन्यवाद पत्र

दिनांक : 10-11-2023

नाम : एन.संगीता

पिता का नाम : एन नागराजन

बीमाकृत व्यक्ति संख्या : 5611141385

आदरणीय महोदय/महोदया,

नमस्ते, मेरा नाम एन संगीता है। मुझे वर्ष 2017 से गौचर रोग है। चिकित्सकों ने मुझे (एंजाइम पुनर्स्थापन उपचार) इलाज लेने के लिए कहा। ऐसे में हम लोग परेशान थे कि दवा कैसे खरीदें। तभी क.रा.बी.निगम से, इस दवा को खरीदने में मुझे सहायता मिली। इससे मैं पांच वर्ष तक क.रा.बी.निगम से इलाज कराती रही। अभी, इलाज लेने के बाद, मैं ठीक हूं। क.रा.बी.निगम ने शुरू से ही मेरी सहायता की है। इस प्रकार दवा लेने में मेरी सहायता करने के लिए क.रा.बी.निगम को धन्यवाद।

भवदीया

एन .संगीता

जी-20 सम्मेलन की सार्थकता (भारत की अध्यक्षता में)

(राजभाषा पखवाड़ा 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कृत निबंध)

विकाश आनंद
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

9-10 सितंबर, 2023 तक चली 18वें जी-20 सम्मेलन की बैठक भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत की मेजबानी में बैठक का समापन नई दिल्ली घोषणा पत्र के भविष्य में सफलतापूर्वक कार्य आंदोलन के साथ हुआ। इस आयोजन के साथ भारत की पहचान वैश्विक पटल पर विश्व नायक के तौर पर उभर कर सामने आई है। जी-20 के सारे देशों को एक मंच पर लाकर भारत ने अपनी मंशा तथा योग्यता को बखूबी साबित किया है और यह संदेश दिया है कि भारत विश्व नेतृत्व के लिए तैयार एवं प्रतिबद्ध है।

जैसा कि ज्ञात है कि जी-20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जो कि संपूर्ण विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80% तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का 75% एवं विश्व जनसंख्या की 60% भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसलिए यह सम्मेलन भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना का निर्णायक कदम साबित होता हुआ दिख रहा है।

जी-20 की 18वीं बैठक का विषय "एक संसार, एक विश्व तथा एक भविष्य" था, जो महा उपनिषद के संस्कृत वाक्य- "वसुधैव कुटुंबकम" का एक पर्यायवाची वाक्य है। जी-20 सम्मेलन की सार्थकता तथा महत्व विश्व के परिप्रेक्ष्य में कई प्रकार से है, लेकिन मैं यहां कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा।

अफ्रीकन संघ का जी-20 के इकाई सदस्य के रूप में शामिल होना :- अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीका महाद्वीप के देशों का संघ है तथा जिसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है, उसे प्रधानमंत्री ने अपने विशेष संबोधन में जी-20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया।

यह ज्ञात है कि अफ्रीका महाद्वीप ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार समाहित कर रखा है, जो निकट भविष्य में भारत तथा संपूर्ण विश्व की ईंधन तथा खनिज की आपूर्ति का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। कांगो, जो कोबाल्ट का और मोरक्को, जो दुनिया में फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार है तथा नाइजीरिया, गैस एवं खनिज तेल के भंडार के साथ दुनिया के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक होंगे। भारत के लिए अफ्रीकी देश खनिज तेल तथा गैस के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होंगे।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर का निर्माण :- जी-20 के देशों के बीच भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपियन देशों तक एक गलियारे के निर्माण की सहमति बनी है, जो चीन तथा रूस की विस्तारवादी नीति का एक जवाब साबित होगा। यह चीन के बढ़ते प्रभाव और चीन के कर्ज जाल में धँसे छोटे देशों को उबारने में एक निर्णायक कदम साबित होगा। इस गलियारे में भारत समेत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, फ्रांस तथा जर्मनी आदि देश शामिल हैं, जो चीन के "वन बेल्ट-वन रोड" का एक सस्ता तथा सुगम विकल्प होगा।

प्रधानमंत्री की ग्लोबल साउथ की अवधारणा पर बल :- भारत की अध्यक्षता में जी-20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के कारण विश्व पटल पर दक्षिणी गोलार्ध के देशों का वर्चस्व कायम होगा। इससे भारत समेत अनेक दक्षिणी देशों के उत्पादन तथा निवेश के लिए बाजार एवं पूंजी की आवश्यकता

के लिए मददगार साबित होगा।

यूक्रेन युद्ध में रूस का नाम लिए बिना भारत ने एक संदेश देते हुए रूस के साथ अपनी मित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए रूस की विस्तारवादी सोच पर अंकुश लगाने का कार्य किया। यह कदम चीन तथा रूस के सहभागी गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास था तथा इससे उनकी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगेगी।

बांग्लादेश जैसे मुस्लिम राष्ट्रों को निमंत्रण देकर तथा ओपेक के सदस्य देशों के साथ मिलकर भारत ने अपने लिए नए विश्वासयोग्य मित्र बनाए हैं, जो कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान को करारा जवाब साबित होगा।

ग्लोबल जैव ईंधन महागठबंधन :- भारत, ब्राजील तथा अमरीका, जो पूरे विश्व के 85% जैविक ईंधन का उपयोग करते हैं, ने यह गठबंधन बनाकर पूरे विश्व को स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित ऊर्जा के लिए एक मंच प्रदान किया है।

ग्लोबल फ्यूचर महागठबंधन :- यह गठबंधन सकल विश्व में प्रौद्योगिकी के विकास तथा इस्तेमाल में निर्णायक कदम होगा। यह ज्ञात है कि भारत यूपीआई तथा अनेक प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल से भारत की यूपीआई प्रणाली अन्य देशों से साझा होगी तथा यह भारत के लिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नया बाजार बनाने में मददगार होगी।

जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिबद्धता :- यह कदम कार्बन उत्सर्जन के न्यूनीकरण के प्रयास को 2030 तक पूरा करने में मददगार होगा। जैसा कि ज्ञात है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) का संस्थापक सदस्य है। इस नाते भारत इस लक्ष्य को पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष :-

जी-20 बैठक की मेजबानी भारत के प्राचीन गौरव तथा भारत के विश्व गुरु बनने के संकल्प के कार्यान्वयन में एक निर्णायक कदम साबित होगी। विश्व के ताकतवर देशों के सामने भारत ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस बैठक के माध्यम से यह बताया है कि आने वाली सदी भारत की होगी। भारत विश्व पटल पर सफलता के विकास का अग्रणी परिचालक होगा। ■

बनूं मैं सागर

संजीव कुमार
सहायक निदेशक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

जीवन का तो स्रोत यही है,
मिलती नदियाँ इसमें आकर।
कोई पूछे क्या बनना तुमको,
मैं तो कहूँ, बनूं मैं सागर।

आत्मसात करे सबको यह तो,
यह इसकी अच्छाई है।
जितनी विशालता इसमें है,
उतनी ही गहराई है।
लेश मात्र का घमंड नहीं,
इतनी विशाल काया पाकर।
कोई पूछे क्या बनना तुमको,
मैं तो कहूँ, बनूं मैं सागर।।

नदियाँ तो सबकी प्यास बुझातीं,
नदियों की प्यास बुझाता कौन।
छोटी होकर हुंकार करे दरिया,
पर सागर अक्सर रहता मौन।

मनुज नहीं ये, बदले स्वरूप जो,
सदियों से इसका रूप है गागर।
कोई पूछे क्या बनना तुमको,
मैं तो कहूँ, बनूं मैं सागर।।

बात-बात में उग्र न होए,
न बातों में होए अधीर।
रौद्र रूप तब तक न धरे,
जब तक न छेड़े समीर।
धीरता किसको कहते हैं,
सीखो तुम इससे जाकर।
कोई पूछे क्या बनना तुमको,
मैं तो कहूँ, बनूं मैं सागर।। ■

केंद्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में क्षे.का., चेन्नै का उत्कृष्ट प्रदर्शन

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै ने 29 जनवरी से 2 फरवरी, 2024 तक पुणे में आयोजित क.रा.बी.निगम की 12वीं केंद्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते। विजेताओं और उप विजेताओं को माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा 24 फरवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित निगम के 73वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ट्रॉफी और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै को निम्नलिखित स्पर्धाओं में पुरस्कृत किया गया-

खेल का नाम	पुरस्कार
वॉलीबॉल	विजेता
फुटबॉल	उप विजेता
टेबल टेनिस (महिला) टीम चैम्पियनशिप	विजेता
टेबल टेनिस (महिला) युगल	विजेता
टेबल टेनिस (पुरुष) एकल	विजेता
कैरम (महिला) टीम चैम्पियनशिप	विजेता
कैरम (पुरुष) युगल	विजेता

सबक

जयंत कुमार
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते-करते 23 नौकरियाँ छोड़ते-छोड़ते एक तय हुई। थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के एक-दो साल नर्म, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे, हाथों में हाथ डालकर घूमना-फिरना और रंग-बिरंगे सपने। परंतु ये दिन जल्दी ही उड़ गए। फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केन्द्रित हो गया। उठना-बैठना, खाना-पीना, लाड़-दुलार आदि। समय कैसे फटाफट निकल गया, पता ही नहीं चला।

इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना और घूमना-फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा तथा साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने आपको काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी।

इतने में मैं 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार आदि सब है, फिर भी कुछ कमी है? पर वो है क्या, समझ नहीं आया। उसकी चिड़-चिड़ बढ़ती गई, मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए। समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया। उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही चालीस-बयालीस के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ते ही गए। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देख कर उससे कहा "अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो। चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम कर आते हैं।" उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि "तुम्हें कुछ भी सूझता है। यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है।" कमर में पल्लू खोंस वो निकल गई। तो फिर आया पैंतालीसवाँ साल, आँखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे और दिमाग में कुछ उलझनें शुरू हो गईं। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज ख़त्म। वह अपने पैरो पर खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया। कभी-कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। वो भी उमर दराज लगने लगी। दोनों पचपन से साठ की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने-जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली-दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे, तब हम साथ रहेंगे, सोच कर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे यही सोचते-सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दीया-बाती कर रही थी।

तभी फोन की घंटी बजी। लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे देना। और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कह कर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दीया-बाती खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी "चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं।" वो तुरंत बोली "अभी आई"। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा ख़ुशी से चमक उठा। आँखें भर आई। आँखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आँखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। हमेशा के लिए!

उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा "बोलो क्या बोल रहे थे?" लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिलकुल ठंडा पड़

गया था। मैं उसकी और एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई।

"क्या करूँ?" उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक-दो मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई। एक अगरबत्ती की। ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई।

मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली-

"चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी हैं तुम्हें?" बोलो !

ऐसा कहते हुए उसकी आँखें भर आईं !..... वो एकटक मुझे देखती रही। आँखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिन्दगी है? नहीं!

"जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो। शुरुआत आज से करो। क्योंकि कल कभी नहीं आएगा।"

■

क.रा.बी.निगम अस्पताल, तिरुपुर, तमिलनाडु का उद्घाटन

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल, तिरुपुर का दिनांक 25.02.2024 को ऑनलाइन उद्घाटन किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को बेहतर बनाने के उपाय

(राजभाषा पखवाड़ा 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कृत निबंध)

टी. राघव कृष्णा
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसकी धारा 2 (12) के अंतर्गत, 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है, जैसे- रेस्टोरेंट, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि। यह योजना अब देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 606 जिलों में लागू है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के व्यापक एवं बहु-आयामी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा देखा जाता है। निगम का नेतृत्व केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

नियोक्ता हर महीने अपने कर्मचारियों के वेतन की 4% राशि, अंशदान के रूप में निगम के बैंक खाते में जमा करता है। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹21,000/- से कम है, वे कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों को बहुत सारे हितलाभ प्रदान करती है। खासकर पाँच हितलाभ, नकद या राशि के रूप में और चिकित्सा हितलाभ के रूप में दिए जाते हैं।

क.रा.बी.निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख हितलाभ-

1. चिकित्सा हितलाभ
2. बीमारी हितलाभ
3. मातृत्व हितलाभ
4. निःशक्तता हितलाभ
5. अश्रितजन हितलाभ

क.रा.बी.योजना को बेहतर बनाने के उपाय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो बीमा संगठन की सुविधा है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा के रूप में अनेक अस्पतालों और औषधालयों को प्रारंभ किया गया है। आज देश में निगम द्वारा 161 अस्पताल और 1574 औषधालय चलाए जा रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गाँवों में रहने वालों या सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता को आज तक उपचार लेने में कष्ट हो रहा है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए रोगी वाहनों (5 जी) की खरीद करनी पड़ सकती है। अतः गाँवों में समय-समय पर चिकित्सा शिविर लगाने चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा महाविद्यालयों में सारे विषयों में स्नातकोत्तर (पीजी) तक शिक्षा दी जा रही है। इससे आगे बढ़कर अनुसंधान पर जोर दिया जाए तो हमारे अस्पताल आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में हर प्रकार का अति विशिष्टता उपचार उपलब्ध कराना चाहिए। यह कार्य तब सफल होगा जब अति विशिष्टता चिकित्सक हमारे पास मौजूद रहेंगे।

टाइ-अप अस्पतालों को निदेश दिया जाए कि बीमाकृत व्यक्तियों से मृदु भाषा में बात करें एवं उनकी सहायता करें। टाइ-अप अस्पतालों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए।

हर महीने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा अभियान औद्योगिक क्षेत्रों में रखना महत्वपूर्ण है।

आम जनता में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया, एफ.एम. रेडियो और पत्रिकाओं का उपयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त कार्यों की सफलता के लिए निगम के दो प्रभागों को कुशलतापूर्वक काम करना पड़ता है-

1. राजस्व या बीमा प्रभाग
2. राजस्व वसूली प्रभाग

ज्यादा अस्पताल निर्माण करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए या महाविद्यालयों में नए शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने लिए बहुत राशि की जरूरत पड़ती है। इसलिए उपर्युक्त प्रभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुशलता से काम करना चाहिए।

प्रत्येक कर्मचारी को लक्ष्य आधारित काम करना चाहिए। जो कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य पूरा करे, उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वह नकद पुरस्कार हो या पदोन्नति।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए।

राजस्व वसूली शाखा को चूककर्ता से अंशदान वसूल करने पर और जोर देना चाहिए।

आज तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अनेक योजनाओं को लागू किया है, जैसे-

- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना
- कोविड राहत योजना आदि

आपत्ति या आवश्यकता के अनुसार और ज्यादा योजनाओं को लागू करना चाहिए।

बीमाकृत व्यक्तियों को उनकी हितलाभ राशि शाखा कार्यालयों द्वारा दी जाती है। इसलिए शाखा प्रबंधक को ऐसा शिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह उनके प्रत्येक दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई करे।

उपसंहार :

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों पर कोई योजना कुशलता से लागू करना बहुत कठिन है। अगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी मात्र वेतन के बजाय जनता की सेवा करने के इरादे से कार्य करे तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रत्येक योजना आम जनता का भला कर सकती है। ■

जीवन के पहलू

आशीष कुमार
अवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, उ.क्षे.का., कोयंबत्तूर

मुश्किलों का मूल निवास जीवन है
परेशान जीवन है, हताश जीवन है।

दो पहलुओं के इर्द-गिर्द गुजरता है
सुख-दुःख के आसपास जीवन है।

पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े
मृत्यु नामक देवता का दास जीवन है।

कभी तनहाई उल्लास में बीतती
आज भीड़ में भी उदास जीवन है।

कल, आज और कल में बस फर्क इतना है
जैसे कि काश, कयास और खास जीवन है। ■

माँ

मनीष कुमार
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

माँ की ममता ही हमारी पहचान बनाती है।
अगर हम रूठ जाएं तो, हमें प्यार से मनाती है।।

हमें बस ख्वाब है इतना कि
तुझे छोड़कर कहीं न जाऊं।
क्योंकि हर जन्म में तुझे ही अपनी माँ पाऊं।।

हमें मां से प्यार है इतना कि
खुद को भुला जाऊं।
हमें बस याद रहे इतना कि
तेरा नन्हा बच्चा हमेशा रह पाऊं।।

अगर हमें सपने में भी दहशत सताती है।
उस वक्त भी हमें सिर्फ माँ की याद आती है।।

कोई सांसों में बसता है,
कोई दिलों में बसता है,
मगर तुम जानो-ओ-जहान
मेरी मां, हर एक राह में बसती है।
हर एक कण-कण, हर एक मोड़,
हर एक साँस में बसती है।। ■

निगम में प्रयुक्त बीमा एवं राजस्व शब्दावली

Bonus – अधिलाभ, बोनस

Breach of agreement – करार भंग

Breach of conditions – शर्तों को तोड़ना

Breach of contract – संविदा भंग

Calendar of return – विवरणी सूची

Capital construction – पूंजीगत निर्माण

Cash benefit - नकद हितलाभ

Code – संहिता, कूट

Collection charges – संग्रहण प्रभार

Commercial – वाणिज्यिक

Compensation – प्रतिकर, मुआवजा

Conformity – अनुरूपता

Consolidated fund – समेकित निधि

Contract for service – सेवार्थ संविदा

Contribution period – अंशदान अवधि

Correction slip – सुधार पर्ची

Counter charge – प्रत्यारोप

Counter claim – प्रतिदावा

Disciplinary Proceeding – अनुशासनिक कार्यवाही

Earnest money – बयाना

Earning Capacity - अर्जन क्षमता

Economic collaboration – आर्थिक सहयोग

Employment injury – रोजगार चोट

Employment – नियोजन, रोजगार

Employer – नियोक्ता

Employees' contribution – कर्मचारी अंशदान

Dispensary – औषधालय

Entitle – हकदार

Expose to risk – जोखिम का अंदेशा

Final coverage – अंतिम व्याप्ति

Grace period – रियायत अवधि

Gross assets – सकल परिसंपत्ति

High accident rate – उच्च दुर्घटना दर

Hourly rated worker – घंटा दर कामगार

Inspection at site – मौके पर निरीक्षण

In-person – स्वयं

Inspection note – निरीक्षण टिप्पणी

Instalment – किस्त

Insurable employment – बीमायोग्य रोजगार

Insurance No. – बीमा संख्या

Insured person – बीमाकृत व्यक्ति

Internal - आंतरिक

Medical Referee – चिकित्सा निर्देशी

Notice of accident – दुर्घटना की सूचना

Occupational disease – व्यावसायिक रोग

Office record – कार्यालय अभिलेख

Periodical payment – आवधिक अदायगी

PDB – स्थायी अपंगता हितलाभ

Performance report – कार्य निष्पादन रिपोर्ट

Recovery – वसूली

Revenue – राजस्व

Skilled labourer – कुशल श्रमिक

कार्यालय में हिंदी कामकाज कैसे बढ़ाएँ

(राजभाषा पखवाड़ा 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कृत निबंध)

त्रिभुवन कुमार
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

हिंदी हमारी मातृभाषा है जो कि अन्य सभी भाषाओं से आसान है। यह भारत के सभी राज्यों में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है जो बोलने तथा लिखने-पढ़ने में आसान है। यह दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में प्रायः बोली जाती है। यह वह भाषा है जिसमें लोग अपनी खुशी और दुख आसानी से बाँट लेते हैं। दक्षिण भारत के लोग भी अपनी भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा की तरफ रुख कर रहे हैं और कुछ ही वर्षों में हिंदी सभी राज्यों में सहजता से बोली जाने वाली भाषा बनने की राह पर अग्रसर होगी।

कार्यालय में हिंदी कामकाज कैसे बढ़ाएँ

सरकारी कार्यालयों द्वारा हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे कि मूल हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना, हिंदी डिक्टेशन योजना, टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना आदि। इनके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों को सेवाकालीन हिंदी भाषा प्रशिक्षण तथा हिंदी टंकण प्रशिक्षण दिलाए जाने की भी व्यवस्था है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, इनमें निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण होने पर कार्मिकों को नकद पुरस्कार के अतिरिक्त 12 महीने के लिए वेतन वृद्धि के बराबर राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। कार्यालय की राजभाषा शाखा द्वारा कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से सरकारी कार्मिकों को यह प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इस प्रकार कार्यालय के कार्मिकों को हिंदी सीखने एवं हिंदी में कार्य करने में सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों को प्रत्येक तिमाही में हिंदी में कामकाज करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि हिंदी में काम करने में उनकी झिझक दूर हो सके।

लेकिन इसके बावजूद कार्यालय में कुछ लोग हिंदी में कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके लिए राजभाषा शाखा को निरंतर सभी शाखाओं में किए जा रहे हिंदी कामकाज का अवलोकन करना चाहिए। विशेष रूप से जिस शाखा में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक हैं, उस शाखा के हिंदी कामकाज की प्रतिशत में कमी आने पर शाखा अधीक्षक से संपर्क कर इस संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यदि शाखा में हिंदी में कामकाज करने में कहीं कोई समस्या हो तो उसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की लगभग सभी शाखाओं में हिंदी भाषी कार्मिक हैं, वे अपनी शाखा के हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी में कामकाज करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें हिंदी में काम करने पर मिलने वाली पुरस्कार योजनाओं के बारे में भी बताना चाहिए। सर्वप्रथम सभी शाखाओं में सभी कार्मिकों द्वारा उपस्थिति पंजिका में हिंदी में हस्ताक्षर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यालय में सभी शाखाओं में एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, जिस पर शाखा के कार्मिक वैसे शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिदिन लिखें, जिनका उस शाखा में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से शब्द लिखे जाने से धीरे-धीरे इनका प्रयोग सभी के लिए आसान हो जाएगा और सभी इन शब्दों से परिचित हो सकेंगे।

राजभाषा शाखा द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशाला में मुख्य रूप से हिंदीतर भाषी कार्मिकों का नामांकन किया जाना चाहिए तथा कार्यशाला की समयावधि को बढ़ाकर एक दिन की बजाय दो दिन किया जाना चाहिए।

आजकल कार्यालय में शत-प्रतिशत कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है। ई-ऑफिस में हिंदी में कार्य करना सभी के लिए सरल है। इसके लिए सभी कंप्यूटरों में हिंदी अनुवाद से

संबंधित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एवं शब्दकोश इंस्टाल करवाए जाने चाहिए। साथ ही कार्यालय में कार्मिकों को ई-ऑफिस में हिंदी में कामकाज करने के संबंध में समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

शाखाओं से प्राप्त होने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट में हिंदी कामकाज का प्रतिशत कम दर्शाने वाली शाखाओं के हिंदी कामकाज का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें हिंदी में कामकाज बढ़ाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि किस प्रकार तकनीक की सहायता से कम समय में अधिक से अधिक हिंदी कार्य किया जा सकता है।

सभी की जिम्मेदारी है। कार्यालय में कार्मिकों को एक-दूसरे को 'गुड मॉर्निंग' की जगह 'सुप्रभात', 'नमस्कार' आदि हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर संबोधित करना चाहिए। विशेषकर जब अधिकारी इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनके अधीनस्थ कार्मिक भी प्रोत्साहित होंगे।

जांच बिंदुओं के बोर्ड सभी शाखाओं में लगाए जाने के उपरांत शाखा अधीक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाखा से जारी होने वाले सभी पत्र आदि द्विभाषी रूप में जारी हों और उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जांच बिंदु के नियमों से अवगत कराना चाहिए ताकि निचले स्तर से ही पत्र आदि द्विभाषी रूप में बनाए जाएं।

कार्यालय में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि हम सभी अपने सहकर्मियों से हिंदी में ही बातचीत करें और हिंदी में कामकाज करने में एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करें। विशेषकर हिंदी भाषी कार्मिकों को हिंदीतर भाषी कार्मिकों के हिंदी कामकाज में सहयोग करना चाहिए और दैनिक कामकाज में प्रयोग में आने वाले हिंदी शब्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

कार्यालय में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के प्रति एक सुखद वातावरण का निर्माण करना भी हम

'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के अधिकांश कर्मचारी हिंदी लिखना तथा पढ़ना जानते हैं, लेकिन हिंदी कामकाज में अभ्यास की कमी के कारण और बहुत से हिंदी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होने के कारण उन्हें हिंदी में कार्य करने में झिझक होती है। इसके लिए राजभाषा शाखा को हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी में बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। हिंदी बोलने से वे नए-नए शब्दों को सीख सकेंगे और अपने कामकाज में इनका प्रयोग भी कर सकेंगे। ■

वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति

(वार्षिक रिपोर्ट)

राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं मुख्यालय से प्राप्त विभिन्न आदेशों/अनुदेशों को, अनुपालन करने हेतु परिचालित किया गया तथा कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रयोग में वृद्धि करने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट इस प्रकार है :-

हिंदी प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित हिंदी भाषा- प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 71 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी सत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जाना है। कार्यालय में लगभग 83% कर्मचारियों ने हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। हिन्दी टंकण प्रशिक्षाणार्थ, कार्यालय में ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से 15 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

राजभाषा पखवाड़ा

मुख्यालय के निदेशानुसार दिनांक 14/09/2022 से 29/09/2022 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 19/09/2022 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए राजभाषा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 71 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिन्दी भाषी तथा हिन्दीतर भाषियों के लिए अलग–अलग प्रश्न पत्र बनाकर चार हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 29 सितंबर, 2022 को पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। इस राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित चारों हिंदी प्रतियोगिताओं में हिंदी एवं हिंदीतर भाषी श्रेणी में अलग-अलग विजयी प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा दो-दो प्रोत्साहन पुरस्कारों के साथ-साथ नकद पुरस्कार एवं शेष प्रतिभागियों को स्मृति चिह्न भी प्रदान किए गए। उपर्युक्त के अलावा उप क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै, सेलम एवं तिरुनेलवेली तथा क.रा.बी.निगम अस्पताल, तिरुनेलवेली एवं के.के. नगर में भी हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन आदि सुविधाएं प्रदान करते हुए राजभाषा पखवाड़े का आयोजन करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान नियमानुसार विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति को और अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के प्रयास किए गए।

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा हिंदी कार्य का अभ्यास कराने की दृष्टि से वर्ष 2022-23 में 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें कुल 65 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

राजभाषा निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की 11 शाखाओं तथा अधीनस्थ 6 शाखा कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए सभी कार्यालयों से अनुरोध किया गया।

रबड़ की मोहरें/फॉर्म/बोर्ड/नामपट्ट आदि

क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध सभी रबड़ की मोहरें, फॉर्म आदि द्विभाषी/त्रिभाषी तैयार किए गए हैं। साथ ही निरीक्षण किए गए 6 शाखा कार्यालयों की भी द्विभाषी रबड़ की मोहरें बनवाई गईं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित बैठक में कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। साथ ही

समय–समय पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित वेबिनार, कवि सम्मेलन जैसी विभिन्न संगोष्ठियों में भाग लिया गया। इस कार्यालय के कर्मचारियों ने समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल होकर पुरस्कार प्राप्त किए।

हिंदी पुस्तकालय

चेन्नै क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु वर्ष 2022-23 के अंतर्गत ₹7200/- की पुस्तकें (सरल हिंदी प्रबोध), हिंदी कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों को वितरित करने के लिए खरीदी गईं।

जांच बिन्दु एवं वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम मुख्यालय द्वारा निर्धारित जांच बिन्दुओं की सूची एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम अप्रैल, 2022 के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपालन हेतु परिचालित किए गए।

हिंदी संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और मुख्यालय द्वारा निर्धारित सभी हिंदी प्रतियोगिताओं एवं प्रोत्साहन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इनमें हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्यालयीन कार्य 50% या उससे अधिक हिंदी में करने के लिए 42 तथा मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन योजना के अंतर्गत 10,000 या इससे अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग करके रिकार्ड प्रस्तुत करने पर 10 कर्मचारियों को यथानिर्धारित पुरस्कार प्रदान किए गए।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन

इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में 1884 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए, जिनमें से 1175 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। शेष 709 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत कुल 715 दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी जारी किया गया।

कार्यालय में हिंदी कामकाज

'ग' क्षेत्र में स्थित इस कार्यालय में ई-ऑफिस के माध्यम से 55 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

अन्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों की स्थिति

इस कार्यालय में प्राप्त हिंदी की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा यथा निर्धारित हिंदी संबंधी सभी रिपोर्टें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/मुख्यालय भेजी गईं।

राजभाषा चल-वैजयंती

पिछले वर्ष हिंदी दिवस कार्यक्रम में, अपनी-अपनी शाखाओं में राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए, अंतर-शाखायी चल वैजयंती समन्वय शाखा को प्रदान की गई थी। हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी अंतर-शाखायी राजभाषा चल वैजयंती "समन्वय शाखा" को दी गई। साथ ही चेनै क्षेत्र के अधीनस्थ शाखा कार्यालयों को हिंदी काम-काज में प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से, उन्हें भी वैजयंती प्रदान करने की नई प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। तदनुसार हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए शाखा कार्यालय, वेल्लोर को इस वर्ष विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

उपर्युक्त संपूर्ण सफलताएं कार्मिकों के समेकित प्रयासों का प्रतिफल हैं। अभी और लक्ष्य प्राप्त किए जाने शेष हैं, उन्हें भी निकट भविष्य में आपसी सहयोग से ही अर्जित किया जा सकेगा। अतः निष्ठापूर्वक प्रयत्न करते हुए बढ़-चढ़ कर हिंदी में कार्य किया जाना अपेक्षित है। ■

ई-ऑफिस में हाइपरलिंक का प्रयोग

रोहित कुमार झा
आशुलिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होने के नाते ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस की गति और दक्षता न केवल विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है बल्कि उन्हें कागज़रहित भी बनाती है। आज की तारीख में हम बड़ी आसानी से किसी भी टिप्पण को टाइप कर एवं संबंधित कागज़ात को संलग्न कर अपेक्षित कार्रवाई हेतु अपने अधिकारीगण/कार्मिकगण को भेज सकते हैं। परंतु क्या आपने सोचा है, आज से 10 वर्ष बाद भविष्य में जब फाइलों पर टिप्पण एवं कागज़ात की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी होगी, तब पुराने टिप्पण और काग़जात को ढूंढ़ना कितना कठिन कार्य बन जाएगा !!!

भविष्य में आने वाली इस समस्या का हल हम वर्तमान से ही निकाल सकते हैं, ताकि हमारे बाद आने वाले कार्मिकों को कोई परेशानी न हो। इसी मुद्दे पर मैं आज आपको कुछ तकनीकी जानकारी देना चाहूंगा। आशा है आप सब इसका प्रयोग करना जल्द-से-जल्द शुरू करेंगे।

ई-ऑफिस में किसी भी टिप्पण का हाइपरलिंक कैसे बनाएं?

चरण 1 : सबसे पहले आप अपने टिप्पण को बिना किसी त्रुटि के साथ तैयार कर लें।

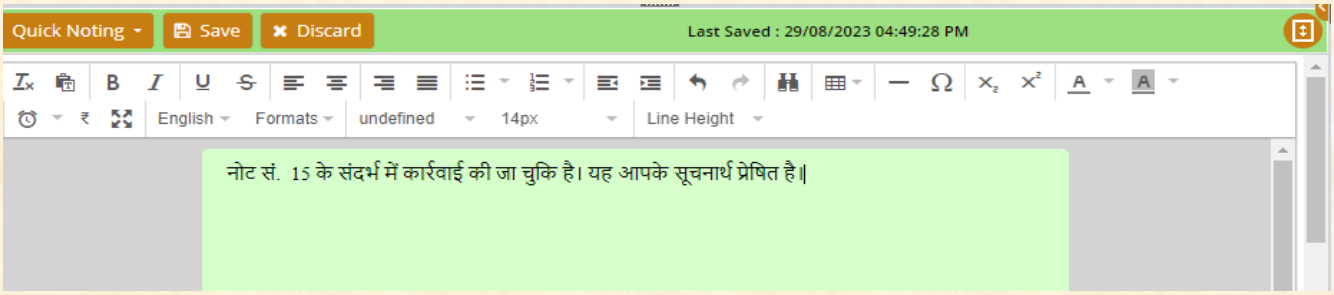

चरण 2 : मॉनिटर स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए टीओसी में "प्रिवियस नोट्स" पर क्लिक करें।

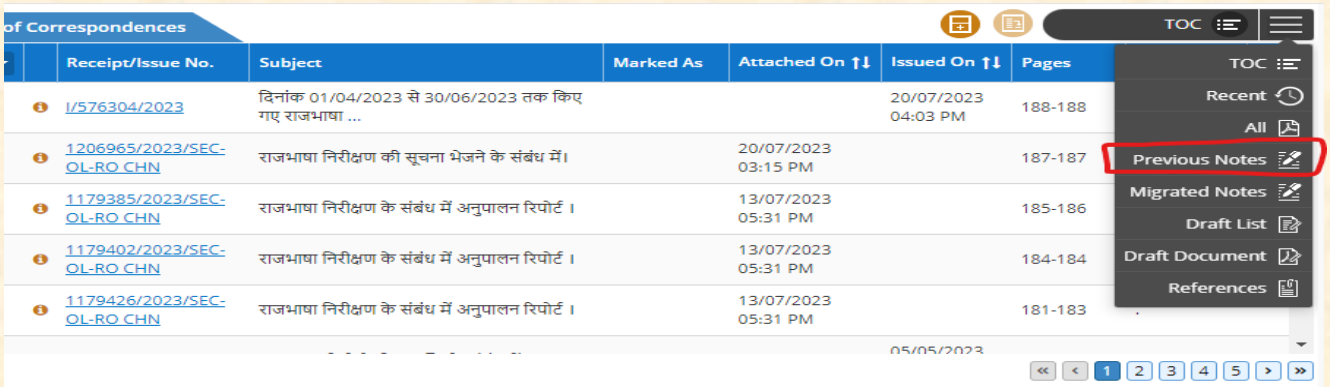

चरण 3 : आप जिस वाक्यांश/शब्द का हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, उसे माउस की सहायता से नीचे चित्र में दिखाए अनुसार चिह्नित करें।

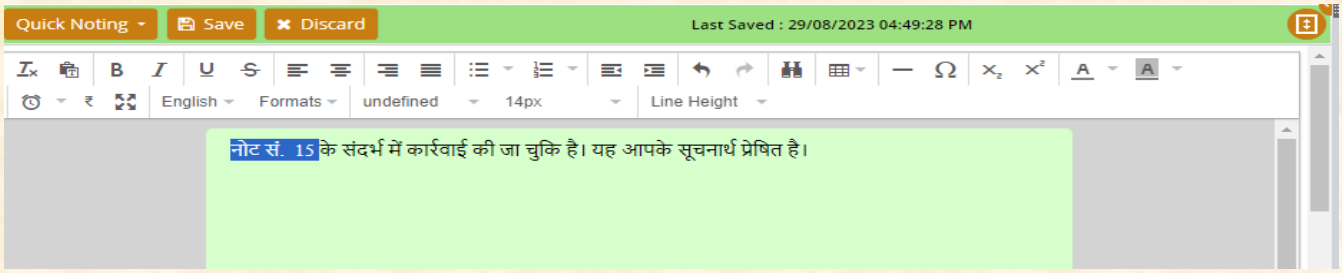

चरण 4 : शब्द/वाक्यांश का चयन करने के बाद, आप देखेंगे कि स्क्रीन के दाईं ओर उपलब्ध "संदर्भ" का प्रतीक सक्षम हो गया है। ई-ऑफिस में हाइपरलिंक को "रेफ़रेंसिंग" का नाम दिया गया है। "संदर्भ" आइकन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।

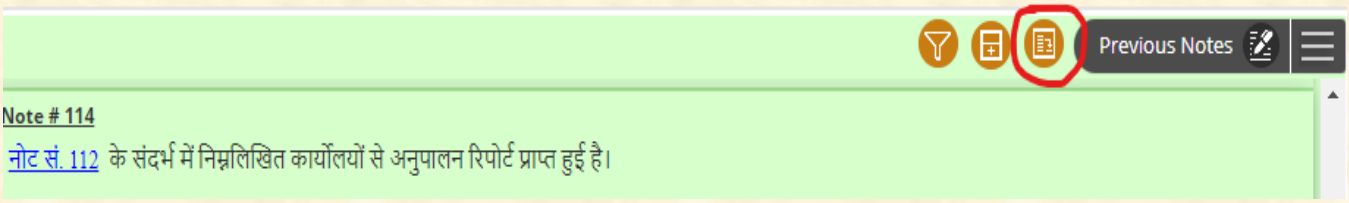

चरण 5: रेफरेंसिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी, जहां आप चुन सकते हैं कि कौन सा नोट नंबर या किसी विशेष टिप्पण का कौन सा पैराग्राफ आप हाइपरलिंक या संदर्भ के रूप में बनाना चाहते हैं। यह अंतिम चरण है। अपेक्षित नोट नंबर पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।

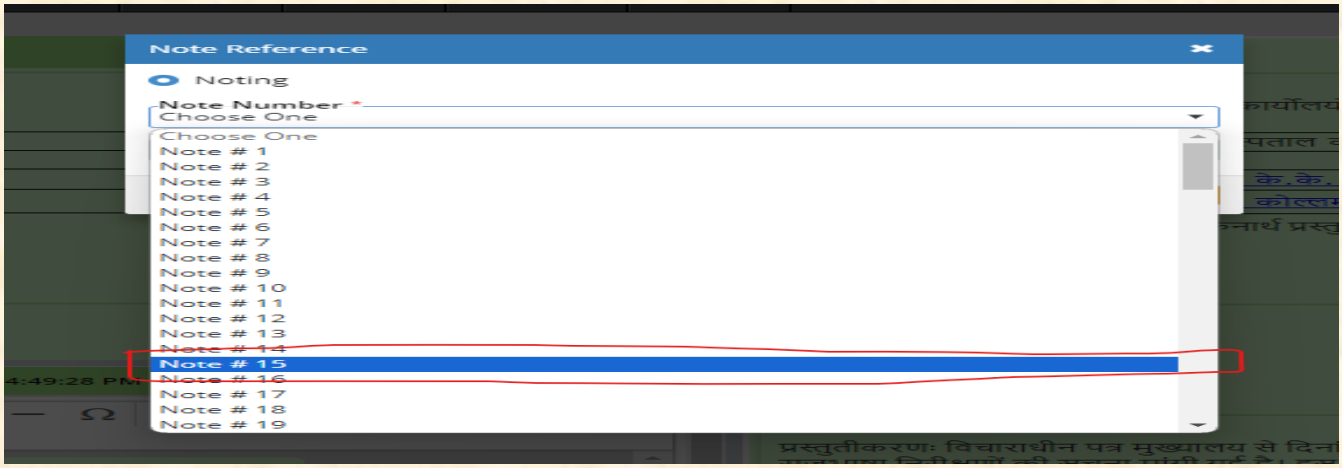

चरण 6: टिप्पण संख्या का चयन करने के बाद आप देखेंगे कि चयनित शब्द/वाक्यांश को रेखांकित किया गया है और नीले रंग में है जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि हाइपरलिंक या संदर्भ बनाया गया है। अब से, जिसे भी आप फ़ाइल भेज रहे हैं, वह संदर्भ/हाइपरलिंक पर केवल एक क्लिक से संदर्भित टिप्पण तक पहुंच सकता है।

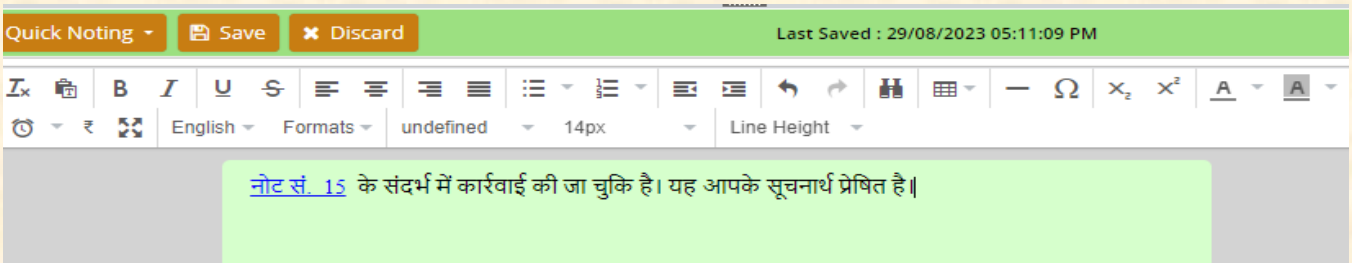

बड़ा संकट : जीवन को ख़तरा

आर. निरंजना
सहायक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

भारत ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 26वें कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) की अवधारणा पेश की है। "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य 'उपयोग-और-निपटान' अर्थव्यवस्था को 'पुनर्चक्रण अर्थव्यवस्था' के साथ बदलना है।

मैं, जलवायु परिवर्तन के कारणों, प्रभावों, किए गए उपायों और इस कठोर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक युक्तियों पर चर्चा करना चहूंगी। जलवायु परिवर्तन की घटना, पर्यावरण के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे, यू.एन.एफ.सी.सी.सी. द्वारा भी परिभाषित किया गया है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है जो वैश्विक वातावरण की संरचना को बदल सकता है। इसलिए, इस मुद्दे पर सरकार और प्रत्येक व्यक्ति से इसे सुधार करने के लिए तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

वर्ष 1992 के बाद से, प्रत्येक वर्ष को पृथ्वी के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है और यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, अक्तूबर 2023 को अब तक के सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है। पिछले दो दशकों के दौरान तापमान में इस अप्रत्याशित वृद्धि को सीधे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जल वाष्प, कार्बन-डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा पृथ्वी के निचले वायुमंडल का स्वाभाविक रूप से गर्म होना, जो पृथ्वी की सतह द्वारा पुन: विकीर्ण गर्मी को बढ़ाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है जिसके बिना हमारी धरती मां जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होगी।

हालांकि, इन ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कार्बन-डाइऑक्साइड एवं ब्लैक कार्बन उद्योगों और वाहन इंजनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होते हैं। जंगलों का विनाश जो प्राकृतिक कार्बन शोषक के रूप में कार्य करते हैं, मीथेन उत्सर्जन का स्रोत पशुधन खेती है और नाइट्रस ऑक्साइड औद्योगिक प्रक्रिया और उर्वरक निर्माण से उत्सर्जित होता है। जी.एच.जी का सबसे मायावी और खतरनाक रूप मानव-संश्लेषित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लुरोकार्बन और सुफ्लुर हेक्साफ्लूराइड हैं। ये गैसें सेमी-कंडक्टर विनिर्माण (किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सौर पैनलों के लिए मूल तत्व) और नए डिजाइन किए गए एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर द्वारा उत्सर्जित होती हैं। ये गैसें ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में उत्सर्जित होती हैं।

ये फ्लोराइड-युक्त गैसें कार्बन-डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की तुलना में भारी मात्रा में गर्म ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये गैसें लगभग 1000 वर्षों तक वायुमंडल में रहती हैं। यहां केवल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचने वाली सीधी धूप इन अणुओं को नष्ट कर सकती है, तो ये गैसें लगभग अविनाशी लगती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में बताने के बाद, इस घटना के प्रभाव- बर्फ के आवरण और ग्लेशियरों का पिघलना है, जो हमारी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बर्फ से पोषित नदियों के लिए स्रोत से वंचित हो जाएंगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, जो तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगी इसके परिणामस्वरूप दुनिया के कई बड़े तटीय शहरों के तटों से प्रवास हो सकता है। इसके अलावा, हम गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी की स्थिति देखते हैं, लगातार बाढ़, गंभीर चक्रवात, अत्यधिक वर्षा के साथ अप्रत्याशित बाढ़ और हाल के वर्षों में बादल फटना, जो भौतिक क्षति के अलावा सभी प्राणियों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं।

हमारी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कई उपाय किए हैं। जैसे वातावरण में उत्सर्जित अत्यधिक कार्बन को कार्बन सिंक में पकड़ना, सामाजिक

वानिकी का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की शुरुआत करना, ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय स्रोतों की ओर स्थानांतरित करना- सौर, पवन, आदि। हाल ही में, भारत ने **दीर्घकालिक-अल्प उत्सर्जन विकास नीति (एल.टी-एल.ई.डी.एस)** की घोषणा की है, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप है, जो उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों के रणनीतिक संक्रमण और भारत की जलवायु अनुकूलन आवश्यकताओं संबंधी चर्चा पर ध्यान केंद्रित करता है। **लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीड.आईटी)** शिखर सम्मेलन 2022 में भारत और स्वीडन द्वारा शुरू किया गया था, जो औद्योगिक क्षेत्र के अल्प कार्बन संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक पहल है। पेरिस जलवायु समझौता- 2015 के माध्यम से, सभी 195 देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने हेतु उपाय करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि वैश्विक औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। इसका उद्देश्य इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है।

इस प्रकार, सभी राष्ट्रों और संगठनों ने अपनी ओर से विभिन्न उपायों को प्रतिबद्ध और शुरू किया है। अब प्रश्न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी को तीव्र और खतरनाक परिवर्तन से सुरक्षित रखने में कैसे योगदान देता है? आइए हममें से हरेक अपने वाहनों को सप्ताह में एक दिन आराम देने जैसे न्यूनतम कदम उठाना शुरू करें। जहां भी और जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का प्रयास करें। हम अपने पिछवाड़े या बालकनी में बगीचे लगा सकते हैं। सामाजिक वानिकी में भाग ले सकते हैं और हमारी पृथ्वी के चेहरे पर हरा रंग जोड़ सकते हैं। हम अनुशंसित तापमान में एयर कंडीशनिंग उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी ऊर्जा बचतकर्ता हो सकते हैं। ई-कचरे का ठीक से निपटान करें क्योंकि इसका पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा बायो-डिग्रेडेबल और नॉन-डिग्रेडेबल कचरे का अलग-अलग निपटान करें। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बिल्डिंग कोड के ऊर्जा संरक्षण द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के इस मिशन में एक लंबा रास्ता तय करना है।

जैसे कि कहावत है कि 'छोटी-छोटी बूंदें एक विशाल सागर बनाती हैं', हममें से प्रत्येक को छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए। यह निकट भविष्य में एक बड़ा बदलाव लाएगा और हमारे पर्यावरण को बचाएगा।

जय हिंद। ■

(अनुवादक- आनंद शंकर, बहुकार्य स्टाफ, क्षे.का., चेन्नै)

राजभाषा पखवाड़ा एवं समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण समारोह-2023

क.रा.बी.निगम मुख्यालय के दिशानिर्देश के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में दिनांक 14/09/2023 से 29/09/2023 तक राजभाषा पखवाड़ा तथा दिनांक 29/09/2023 को राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी दिवस के दिन से ही कार्यालय के मुख्य द्वार पर राजभाषा पखवाड़ा-2023 का बैनर लगाया गया तथा मुख्यालय से प्राप्त निदेशानुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अधिकाधिक कामकाज हिंदी में करने संबंधी परिपत्र परिचालित किया गया। कार्यालय से जारी सभी पत्रों के शीर्ष पर **"राजभाषा पखवाड़ा-2023"** अंकित करने के निर्देश दिए गए। हिंदी भाषा के संबंध में प्रमुख सूक्तियों के पोस्टर कार्यालय में प्रमुख स्थानों पर लगाए गए तथा **'राजभाषा पखवाड़ा-2023'** एवं **'जांच बिंदु'** के स्टैंडी प्रवेश द्वार पर लगवाए गए।

प्रतियोगिताओं के संबंध में ई-ऑफिस, ई-मेल एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समय-समय पर सभी को सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्मिकों के ई-मेल के बंच बनाए गए। उन्हें विभिन्न प्रतियोगिता के संबंध में केवल सूचना ही नहीं बल्कि प्रतियोगिताओं के निमित्त बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप **'राजभाषा पखवाड़ा, 2023'** से जुड़ने के लिए वेबलिंक, क्यूआर कोड तथा अध्ययन सामग्री जैसे- **'राजभाषा अधिनियम-1963', 'राजभाषा नियम-1976', 'राजभाषा संकल्प-1968', 'राष्ट्रपति के आदेश-1960', 'संघ की राजभाषा नीति' एवं 'सांविधिक उपबंध'** आदि भी उपलब्ध कराए गए। राजभाषा पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं अन्य गतिविधियों की सूचना कार्यालय के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर पीपीटी के माध्यम से भी दी गई। साथ ही इस पीपीटी की प्रति भी सभी कार्मिकों को ई-ऑफिस, ई-मेल एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजी गई।

पखवाड़ा के दौरान कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **'हिंदी निबंध प्रतियोगिता', 'हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता', 'हिंदी वाक् प्रतियोगिता' एवं 'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता'** का आयोजन किया गया। इनमें कार्यालय के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक बढ़-चढ़कर भाग लिया। **'हिंदी निबंध प्रतियोगिता'** एवं **'हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता'** का आयोजन ऑफलाइन मोड में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया। कार्यालय के कार्मिकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा सुदूर शाखा कार्यालयों के कार्मिकों को भी प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए **'हिंदी वाक् प्रतियोगिता'** का आयोजन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में किया गया। ऑफलाइन मोड में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के भाग लेने वाले प्रतिभागी सीधे प्रतियोगिता स्थल में आकर प्रतियोगिता में शामिल हुए जबकि शाखा कार्यालयों/औषधालय-सह-शाखा कार्यालय से प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कार्मिकों हेतु ऑनलाइन

मोड में भाग लेने के लिए गूगल मीट का लिंक उन्हें ई-ऑफिस, ई-मेल तथा व्हाट्सएप ग्रुप **'राजभाषा पखवाड़ा, 2023'** के माध्यम से यथासमय भेजा गया।

प्रतियोगिता के दौरान निर्णायक मंडल के सदस्यों के सम्मुख शाखा कार्यालयों के कार्मिक ऑनलाइन उपस्थित हुए तथा **'हिंदी वाक् प्रतियोगिता'** हेतु पहले से निर्धारित विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे। **'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता'** का आयोजन ऑनलाइन मोड में 'गूगल फॉर्म्स' के माध्यम से किया गया तथा उन्हें यह सुविधा दी गई कि वे इन प्रतियोगिताओं में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की सहायता से कहीं से भी शामिल हो सकते हैं। **'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता'** में कार्यालय के कार्मिकों की ओर से काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। इस प्रतियोगिता में 50 से भी अधिक कार्मिक शामिल हुए।

मुख्यालय के दिशानिर्देश के अनुसार, दिनांक 25/09/2023 को कार्यालय में **'हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी'** आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा किया गया। **'हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी'** के दौरान हिंदी की पत्रिकाएँ भी प्रदर्शित की गईं। प्रदर्शनी के दौरान 30 से भी अधिक लोगों ने पुस्तकें जारी करवाई। इससे पूर्व पुस्तकालय की हिंदी पुस्तकों की सूची भी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच परिचालित की गई और सभी से निवेदन किया गया कि वे उपलब्ध कराई गई सूची में से आवश्यकतानुसार पुस्तकों के सम्मुख अंकित संख्या बताकर राजभाषा शाखा से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक 26/09/2023 को कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पखवाड़े के दौरान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ाने की दिशा में किए गए कार्यों के संबंध में सभी को सूचित किया गया। कार्यालय प्रमुख ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अपील की कि वे स्वयं भी हिंदी में कार्य करें और अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी हिंदी में कामकाज हेतु प्रेरित करें। साथ ही बैठक के दौरान हिंदी कामकाज में आने वाली कठिनाइयों एवं उनके समाधान पर भी चर्चा की गई तथा भविष्य की रूपरेखा तय की गई।

पखवाड़े के दौरान हिंदी में कामकाज बढ़ाने के उद्देश्य से नेमी टिप्पणियों की सूची, एसिक मार्गदर्शिका, ई-सरल वाक्य कोश, सरल शब्दावली-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-

ऑफिस, ई-मेल के माध्यम से परिचालित की गई तथा सभी से यह अपील भी की गई कि वे दैनिक प्रयोग में आने वाली टिप्पणियों को ई-ऑफिस में 'क्विक नोटिंग' में जोड़कर रखें, जिससे समय पर वह इनका प्रयोग आसानी से कर सकें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में दिनांक

29/09/2023 को **'राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह-2023 एवं पुरस्कार वितरण समारोह'** का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में **'डॉ. राज**

शेखर, अध्यक्ष एवं शोध पर्यवेक्षक, हिंदी विभाग, लोयोला महाविद्यालय, चेन्नै' उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रीमती लाली राजकुमार, प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक; श्री श्याम सुंदर कथूरिया, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), दक्षिण अंचल; श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा) के साथ-साथ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के अधीन सभी सुदूर शाखा कार्यालयों के कार्मिकों को भी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल किया गया।

श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा) ने सभी कार्मिकों का कार्यक्रम में स्वागत किया। मंचासीन अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। तत्पश्चात कार्यालय के कार्मिकों द्वारा मंगलाचरण गीत गाया गया।

श्री श्याम सुंदर कथूरिया, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), दक्षिण अंचल ने अपने विशेष भाषण में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के 'ग' क्षेत्र में होने के बावजूद कार्मिक निःसंकोच भाव से अपना कार्य हिंदी में करते हैं। कई कार्यालयों में निरीक्षण के दौरान यह पाया है कि कार्मिकों को हिंदी का बहुत ज्ञान न होने के बावजूद वे तकनीक का सहारा लेकर काफी काम हिंदी में करते हैं। उन्होंने मातृभाषा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला।

श्री ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा शाखा द्वारा किए गए कामकाज के संबंध में विस्तार से बताते हुए इसकी उपलब्धियों का श्रेय कार्यालय कार्मिकों के समेकित प्रयास को दिया।

तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक ने माननीय गृह मंत्री जी के संदेश का वाचन किया। श्रीमती लाली राजकुमार, प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक ने माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के संदेश का वाचन किया। श्री रमेश कुमार, उप निदेशक ने माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली के संदेश का तथा श्री संजीव कुमार, सहायक निदेशक ने महानिदेशक महोदय डॉ. राजेंद्र कुमार की अपील का वाचन किया।

इस अवसर पर कार्यालय के कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा नृत्य एवं कविता पाठ किया गया। रोकड़

शाखा के कार्मिकों द्वारा समूह में प्रस्तुत किए गए अभिनय द्वारा मोबाइल की आदत से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।

तत्पश्चात् वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी में सर्वश्रेष्ठ काम -काज करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की समन्वय शाखा

को राजभाषा चल वैजयंती प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस वर्ष पहली बार अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक महोदय की अनुमति से शाखा कार्यालयों/औषधालय -सह-शाखा कार्यालयों के लिए पृथक राजभाषा चल वैजयंती प्रतियोगिता आयोजित की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी

में सर्वश्रेष्ठ काम-काज के लिए शाखा कार्यालय वेल्लोर को राजभाषा चल वैजयंती प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित की गई हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को इस दौरान मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अन्य प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को भी इस अवसर पर स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें हिंदी के प्रयोग में शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। आज दूसरे देशों में भी हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। इसमें सभी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। भाषा केवल साहित्य और बातचीत की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि यह ज्ञान फैलाने का एक माध्यम है। आज पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं।

प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती लाली राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में बांधती है। हमें भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कार्यालय में अधिक से अधिक काम हिंदी में करने की जरूरत है। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

कार्यक्रम के अंत में श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अधिकारियों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी सभी कार्मिकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने राजभाषा पखवाड़ा-2023 के दौरान सतत मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। ■

राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिक

हिंदी निबंध प्रतियोगिता (19/09/2023)

हिंदीतर भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	आर. सुजिता लक्ष्मी, प्रवर श्रेणी लिपिक	शाखा कार्यालय, गिण्डी
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	टी. राघव कृष्णा, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	आर. स्वर्ण सौन्दरी, सहायक	शाखा कार्यालय, गिण्डी
प्रोत्साहन पुरस्कार –1	₹500/-	के. सागर दास, सहायक	राजस्व वसूली शाखा
प्रोत्साहन पुरस्कार- 2	₹500/-	पी. एषिलअरसन, निजी सहायक	बीमा शाखा-8

हिंदी भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	त्रिभुवन कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	संपत्ति प्रबंधन प्रभाग
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	विकास आनंद, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा–5
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	पवन कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा–5
प्रोत्साहन पुरस्कार–1	₹500/-	आनंद शंकर, बहुकार्य स्टाफ,	राजस्व वसूली शाखा
प्रोत्साहन पुरस्कार- 2	₹500/-	संजीव कुमार, सहायक निदेशक	बीमा शाखा-3

हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता (20/09/2023)

हिंदीतर भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	आर. स्वर्ण सौन्दरी, सहायक,	शा.का.गिण्डी
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	टी. राघव कृष्णा, प्रवर श्रेणी लिपिक,	बीमा शाखा-2
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	सी.एन. भवानी, अधीक्षक,	वित्त एवं लेखा शाखा
प्रोत्साहन पुरस्कार-1	₹ 500/-	एम.वल्लिमयिल, अधीक्षक,	बीमा शाखा-3
प्रोत्साहन पुरस्कार-2	₹ 500/-	के. सागर दास, सहायक,	राजस्व वसूली शाखा

हिंदीतर भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	बीरेन्द्र कुमार चौधरी, सा.सु.अधिकारी	विधि शाखा
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	भरत कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-8
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	संजीव कुमार, सहायक निदेशक	बीमा शाखा-3
प्रोत्साहन पुरस्कार–1	₹ 500/-	विजय कुमार यादव, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-3
प्रोत्साहन पुरस्कार-2	₹ 500/-	अमित कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2

राजभाषा पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिक

हिंदी वाक् प्रतियोगिता (21/09/2023)

हिंदीतर भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹ 1800/-	एस. संध्या, सहायक	हितलाभ शाखा
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	आर. सुजिता लक्ष्मी, प्रवर श्रेणी लिपिक	शाखा कार्यालय, गिण्डी
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	के. दुर्गाभवानी, अधीक्षक	बीमा शाखा-8
प्रोत्साहन पुरस्कार–1	₹500/-	टी. राघव कृष्णा, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2
प्रोत्साहन पुरस्कार- 2	₹500/-	पी. एषिलअरसन, निजी सहायक	बीमा शाखा-8

हिंदी भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	जयंत राज, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	विजय कुमार यादव, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-3
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	संजीव कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-4
प्रोत्साहन पुरस्कार–1	₹500/-	सोहन लाल मीणा, बहुकार्य स्टाफ	बीमा शाखा-3
प्रोत्साहन पुरस्कार- 2	₹500/-	भरत कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-8

राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता (22/09/2023)

हिंदीतर भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	आर. स्वर्ण सौन्दरी, सहायक	शाखा कार्यालय, गिण्डी
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	आनंद लक्ष्मी, सहायक	शाखा कार्यालय, गिण्डी
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	टी. राघव कृष्णा, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2
प्रोत्साहन पुरस्कार-1	₹500/-	के. सागर दास, सहायक	राजस्व वसूली शाखा
प्रोत्साहन पुरस्कार-2	₹500/-	पोथाराजु लक्ष्मण, अधीक्षक	सामान्य शाखा

हिंदी भाषी

पुरस्कार	पुरस्कार राशि	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम
प्रथम पुरस्कार	₹1800/-	बीरेन्द्र कुमार चौधरी, सा.सु.अधिकारी	विधि शाखा
द्वितीय पुरस्कार	₹1500/-	विकास आनंद, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-5
तृतीय पुरस्कार	₹1200/-	विजय कुमार यादव, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-3
प्रोत्साहन पुरस्कार-1	₹500/-	राहुल कुमार सिंह, बहुकार्य स्टाफ	चिकित्सा निर्देशी कार्यालय
प्रोत्साहन पुरस्कार-2	₹500/-	जयंत राज, प्रवर श्रेणी लिपिक	बीमा शाखा-2

क्षेत्रीय कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम

महिला सशक्तीकरण

ई. शक्ति
पुत्री, पी.एषिलअरसन
निजी सहायक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

महिला सशक्तीकरण क्या है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा?

महिला सशक्तीकरण महिलाओं के आत्म-मूल्य की भावना, उनकी अपनी पसंद निर्धारित करने की क्षमता और स्वयं के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार को बढ़ावा देना है। इसे महिला सशक्तीकरण कहा जाता है।

पश्चिमी देशों में, महिला सशक्तीकरण अकसर इतिहास में महिला अधिकारों के आंदोलन के विशिष्ट चरणों से जुड़ा रहा। यह आंदोलन तीन तरंगों में विभाजित हो जाता है, पहली शुरुआत 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई जहां मताधिकार एक प्रमुख विशेषता थी। वर्ष 1960 के दशक की दूसरी लहर में समाज में महिलाओं की विशेष भूमिका शामिल थी। नारीवाद की तीसरी लहर को अकसर 1990 के दशक में शुरुआत के रूप में देखा जाता है।

वर्ल्ड विजन महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायता कर रहा है। हमारा मानना है कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त महिलाएं और लड़कियां बदलाव की कारक हैं।

जब महिलाओं और लड़कियों का समर्थन किया जाता है, तो उन्हें अपने अधिकारों के लिए बोलने और अपने समुदायों की वकालत करने के अवसर मिलते हैं। वे सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करने में सक्षम हैं और वे इसे आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकती हैं।

इसका मतलब है कि महिला संगठन, महिला सशक्तीकरण नीतियां और महिला परोपकार गति प्राप्त कर सकते हैं और एक मजबूत दुनिया में योगदान कर सकते हैं।

जब महिलाएं सुरक्षित, पूर्ण और उत्पादक जीवन जी रही हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती हैं। कार्यबल में अपने कौशल का योगदान कर सकती हैं और खुश एवं स्वस्थ बच्चों की परवरिश कर सकती हैं। वे टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर समाजों और मानवता को लाभ पहुंचाने में भी सक्षम हैं।

"मैं (महिला), पुरुषों पर नहीं; अपितु स्वयं पर अधिकार चाहती हूं।"- *मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट (अंग्रेजी लेखिका और महिलाओं के लिए शैक्षिक एवं सामाजिक समानता की हिमायती)।* ■

संकल्प शक्ति का महत्व

विकाश आनंद
प्रवर श्रेणी लिपिक
क.रा.बी.निगम, क्षे.का., चेन्नै

हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है, व्यक्ति अपने जीवन को ही परिवर्तन करके नया रंग भर सकता है, निम्न स्तर से व्यक्ति महान बन जाता है। हम जो भी इच्छा करते हैं, वह दो प्रकार की होती है- एक सामान्य इच्छा और दूसरी विशेष इच्छा। यह विशेष इच्छा ही जब उत्कृष्ट, दृढ़ एवं प्रबल बन जाती है तो उसे ही संकल्प कहते हैं। हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, उसके तीन ही साधन हैं- शरीर, वाणी और मन। वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले मन में ही होती है, अर्थात् कर्म का प्रारम्भिक रूप मानसिक ही होता है। मन में हम बार-बार आवृत्ति करते हैं कि "मैं उसे ऐसा बोलूंगा...", "मैं इस कार्य को करूंगा...." उसके पश्चात ही वाणी से बोलते अथवा शरीर से करते हैं। मन में यह जो दोहराना होता है, यही संकल्प होता है।

संकल्प के प्रसंग में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में एक बालक पढ़ने जाता था, जैसे दूसरे बालक भी जाते थे। यह बालक पढ़ने में थोड़ा कमजोर किस्म का था, सो रोज ही गुरु जी के डंडों से मार खाता था। यह सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। एक दिन की बात है कि गुरु जी प्रत्येक बालक के आसन के पास जाकर उन्हें दिया हुआ कार्य देख रहे थे। इस बालक ने अपनी आदत अनुसार काम नहीं किया था और अपने आप ही हथेली गुरु जी के आगे कर दी, मार खाने के लिए। गुरु जी ने डंडा उठाया और हथेली की तरफ देखते ही डंडा रख दिया और कहा- बेटे मैं तुझे नाहक प्रतिदिन ही मारता रहा हूँ, तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा है ही नहीं।

बस फिर क्या था बालक को यह बात चुभ गई। उसने गुरु जी से पूछा- गुरु जी, हाथ में विद्या-रेखा कहां होती है? गुरु जी ने उसे विद्या-रेखा का स्थान बता दिया। बालक उसी क्षण गया और तेज धार वाली धातु ले कर, उस स्थान पर चीरा लगा कर वापस कक्षा में आया। गुरु जी ने उसकी लहू-लुहान हथेली देखकर पूछा कि यह कैसे हो गया? बालक ने बताया कि गुरु जी मैंने अपने हाथ में खुद ही विद्या की रेखा खींच ली है, अब आप मुझे पढ़ाइए, मैं पढूंगा। यही बालक बताते हैं कि आगे चलकर संस्कृत का महान विद्वान 'पाणिनि' बना। इसके व्याकरण **"अष्टाध्यायी"** को आज तक महाग्रन्थ माना जाता है।

हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और इसके द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सफलता को हासिल करने के लिए तीन प्रकार की शक्तियां हैं- इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति और एकाग्रता की शक्ति। ये तीन शक्तियां कम या अधिक मात्रा में हर व्यक्ति के पास होती हैं। कोई भी इन तीन शक्तियों से हीन नहीं है। लेकिन सवाल इन्हें जागृत करने का है और उन्हें जीवनशैली बनाने का है। संकल्प शक्ति जिसने जगा ली, सचमुच वह विजयी बन सकता है। जब संकल्प जाग जाता है तो व्यक्ति और राष्ट्र जाग जाता है। संकल्प सो गया, तो राष्ट्र भी सोया रह जाता है। इसलिए जीवन में संकल्प की दृढ़ता का प्रयोग बहुत जरूरी है।

योग शास्त्र के इस वाक्य **"चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम्"** के अनुसार चित्त या मन तीन तत्वों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी किसी गुण की अधिकता होती है, तो कभी किसी की न्यूनता होती रहती है जिसकी अधिकता या प्रबलता होती है, उसका अधिक प्रभाव मन में, क्रिया में अथवा जीवन-व्यवहार में देखा जाता है। अतः मन में उठने वाले विचार या संकल्प भी तीन ही प्रकार के होते हैं- सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प तथा तामसिक संकल्प। परन्तु यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि किस प्रकार के संकल्प को मन में स्थान दे। क्योंकि मन में दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक है वृत्ति रूप में और दूसरा है पदार्थ रूप में। वृत्ति अर्थात् विचारों

की भिन्नता होने से परिवर्तन देखा जाता है। इसका निरन्तर अभ्यास करने से व्यक्ति नियंत्रण करने में समर्थ हो सकता है और जिस प्रकार की इच्छा करेगा, उस प्रकार का विचार उठा सकता है। परन्तु पदार्थ रूप में जो परिवर्तन आता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

कुछ लोग संकल्प लेने से घबराते हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि संकल्प के बिना किसी का विकास नहीं हो सकता। उपनिषद में कहा गया-संकल्पजा सृष्टिः। कोई भी सृष्टि हुई है, नया निर्माण हुआ है, तो संकल्प के द्वारा हुआ है। आप नया मकान बनवाते हैं, नई फैक्टरी लगाते हैं, तो इसके पीछे आपका दीर्घकालिक चिंतन होता है। चिंतन के बाद उसके लिए संकल्पित होते हैं, तब कहीं जाकर वह संकल्प चरितार्थ होता है। कोई भी सफलता सीधे नहीं मिलती, एकाएक नहीं मिलती। दूसरी संकल्पजा शक्ति, एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर व्यक्ति को किसी भी मंजिल तक पहुंचने या कोई भी लक्ष्य हासिल करने या किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पहले मन में संकल्पित होना होता है। ऐसे संकल्पों से जुड़ने वाले व्यक्ति, जो संकल्प लेते हैं, उसका वे प्रतिदिन प्रयोग करते हैं या नहीं करते? उसका पुनरावर्तन करते हैं या नहीं करते? अगर प्रतिदिन उसे दोहराते नहीं हैं तो वह संकल्प कभी स्थायी नहीं बन सकेगा। जहां स्वीकृत संकल्पों का पालन नहीं होता या अनुसरण नहीं होता, वहां चारित्रिक न्यूनता अथवा शिथिलता आती है।

श्रम, संकल्प और सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रम हो और संकल्प हो, तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसमें प्रोत्साहन का भी बड़ा योगदान रहता है। दूसरों के द्वारा और विशेष कर मार्गदर्शक की ओर से अगर प्रोत्साहन न मिले तो संकल्प के प्रति रुचि यथावत नहीं रह पाती और सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। संकल्प करने वाले का उचित पुरुषार्थ नहीं है, तो भी उसमें मंदता आ जाती है। पुरुषार्थ हो और विवेकपूर्ण पुरुषार्थ हो तो संकल्प फलवान बनता है।

संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में पूरे मन से तैयार होना होता है, उसके अनुकूल माहौल भी बनाना होता है। व्यक्ति में इसके लिए स्वयं को बदलने की तैयारी भी आवश्यक है। यह ज्वलंत प्रश्न है कि व्यक्ति स्वयं में बदलाव कैसे लाए? बदलाव के लिए नए क्षितिज का स्पर्श कैसे करे? नए परिवर्तन की नई दिशाओं का उद्घाटन कैसे किया जा सकता है? इस संदर्भ में जब गहराई से चिंतन किया जाता है, तब ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में संतुलन रख सकता है। वह नित्य नए सृजन की क्षमता में वृद्धि करता हुआ, अप्राप्य को प्राप्त कर लेता है।

भाग्य के भरोसे न रहें : जीवन का आनंद केवल कर्मवीर ही उठाते हैं। भय, अंधविश्वास और भाग्य के भरोसे जीने वालों को न तो कभी जीवन का आनंद मिलता है और न ही वे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को कहा था- मैंने भाग्य को खूंटी पर टांग कर हाथों का सहारा लिया है। ऐसे संकल्प करने वाले ही जीवन में विजय प्राप्त करते हैं और यही विजय प्रसन्नता का कारण बनती है। इसलिए भाग्य के जागने का इंतजार न करें। भाग्य आपके कर्मों से खुद जाग जाएगा।

संसार की सफलताओं का मूल मन्त्र है- उत्कृष्ट मानसिक शक्ति या दृढ़ संकल्प शक्ति। इसी की प्रबलता से संसार में व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रह जाती। अपार धन-संपत्ति हो, चाहे उत्कृष्ट विद्या हो, समाज में प्रतिष्ठा हो या मान-सम्मान हो सब कुछ इसी साधन के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लौकिक सफलताओं के साथ-साथ यह एक ऐसा आधार-स्तम्भ है, जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपने साधना क्षेत्र में सफल हो जाता है। यह एक ऐसी दिव्य विभूति है, जिससे मनुष्य ऐश्वर्यवान बन जाता है और अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्यों को करते हुए, सबको हतप्रभ कर देता है। संकल्प एक ऐसा कवच है, जो कि धारण करने वाले को माता के समान सभी प्रकार की विपरीत अथवा विकट परिस्थितियों से निरंतर रक्षा करता रहता है। किसी भी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति का मूल मन्त्र संकल्प ही है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन का यदि हम निरीक्षण करें, तो ज्ञात होगा कि उसकी सफलता के पीछे अवश्य ही संकल्प का हाथ होगा। ■

सेवानिवृत्ति विशेष

"निगम में 32 वर्षों की अतुलनीय एवं अविस्मरणीय राजभाषा यात्रा"

सुश्री रेवती रमेश, सहायक निदेशक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चेन्नै, तमिलनाडु ने दिनांक 18/02/1991 को निगम में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर कार्यग्रहण किया। आपने, दिनांक 31/05/2023 को संवानिवृत्त होकर, अपने 32 वर्षों के अतुलनीय कार्यकाल के दौरान निगम में अपनी पहचान एक कर्मठ राजभाषा अधिकारी के रूप में स्थापित की।

- आपको कुल 14 क्षेत्रीय निदेशकों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- आपने दक्षिण भारत के हिंदीतर भाषी राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै तथा बेंगलूरु में हिंदी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए **लगभग 600 कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण** दिलवाया। इसके अतिरिक्त **लगभग 50 कार्मिकों को हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण** भी दिलवाया। आपने अनुवाद कार्य के साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरी सत्यनिष्ठा के साथ प्राप्त करने का प्रयत्न किया।
- आपने राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सरल एवं सुगम प्रणाली को अपनाकर तथा वरिष्ठ अधिकारियों के उचित दिशा-निर्देशन में कार्य-नीति का निर्धारण करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में हिंदी कार्यशालाओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु कई सुधारात्मक कार्य किए।
- आपने सेवा काल के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए 6 निरीक्षण; श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किए गए 2 निरीक्षण तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, कोचीन द्वारा किए गए 2 निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराए।
- **'संसदीय राजभाषा समिति'** को दिए गए आश्वासन के तहत सर्वप्रथम निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की वेबसाइट को हिंदी में बनवाया।
- आपने आइएसओ प्रमाणन के सिलसिले में निगम में हिंदी कार्य तथा कार्यान्वयन संबंधी **'मानक प्रचालन प्रक्रिया'** बनवाई।
- क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की हिंदी पत्रिका **'चेन्नै लहर'** का भी संपादन किया।

निगम आपकी सेवाओं को सदैव स्मरण रखेगा। हम, कर्मठ एवं जुझारू सुश्री रेवती रमेश, सहायक निदेशक (राजभाषा) की सेवानिवृत्ति बाद के सुखद एवं स्वस्थ जीवन की मंगलकामना करते हैं। ईश्वर इन्हें दीर्घायु प्रदान करें। ■

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यालय के कार्मिकों द्वारा बनाई गई आकर्षक रंगोली

हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव

श्याम सुंदर कथूरिया
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
क.रा.बी.निगम, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नै

"आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी- आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' यानी– स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' यानी– नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' यानी– आत्मनिर्भरता का अमृत और इसीलिए यह महोत्सव, राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। यह महोत्सव, वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है।"- *नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार*

हम सब जानते हैं कि इस समय देश में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया रहा है। सभी भारतवासी इस पावन उत्सव के माध्यम से उन गुमनाम वीर सुपूतों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया। इस अवसर पर देश के गौरवशाली इतिहास, विरासत एवं समृद्ध परंपराओं को याद किया जा रहा है। ऐसे में, हिंदी और 'भारत का अमृत' महोत्सव के बीच क्या संबंध हो सकता है? यह एक समझने का विषय है।

प्रथम दृष्टया यह देखने में आया है कि सरकार ने इस अमृत काल में अनेक सांस्कृतिक-सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, परंतु गहराई से देखने पर लगता है कि कहीं-न-कहीं हिंदी का भी इनसे संबंध है। इस दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों से कुछ ऐसे पहलू उभरकर सामने आए जो दर्शाते हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की अपनी भूमिका रही और आज इसे इसका अधिकार दिलाए जाने की आवश्यकता है। यहां हम जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी और भारत का अमृत महोत्सव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपस में जुड़े हुए हैं।

सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का अमृत महोत्सव आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है? हमें ज्ञात है कि बड़े कठिन और लंबे संघर्ष के बाद ही भारत राष्ट्र को विदेशी आततायियों की गुलामी से मुक्ति मिली। अंग्रेजों के साथ-साथ मुगलों की पराधीनता ने हमारे देश की संस्कृति, विरासत और पहचान को लगभग नष्ट ही कर दिया था। फलस्वरूप, स्वतंत्रता के दशकों बाद भी देशवासियों में आत्म-गौरव का नितांत अभाव देखने को मिल रहा था। विदेशी विचारधारा इतनी हावी हुई कि हमें अपनी उपलब्धियां गौण और तुच्छ लगने लगीं। हमें इतिहास में भी ना तो ऐसा कुछ पढ़ाया गया और ना ही बताया गया, जिस पर हम गर्व कर सकें। अतः भारतीय परंपरा, शौर्य और स्वाभिमान को पुनर्जागृत एवं पुनर्स्थापित करना ही इस अमृत महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' स्वतंत्रता के 75 साल और इसकी प्रगति के उपलक्ष्य में भारत सरकार की एक पहल है।

यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसे '**अमृत महोत्सव**' या '**अमृत काल**' ही नाम क्यों दिया गया? वस्तुतः भारत ने 15 अगस्त, 2022 को अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता की 75$^{वीं}$ वर्षगांठ पर 76$^{वां}$ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन महत्वपूर्ण 75 वर्षों की स्मृति के आयोजन को ही 'अमृत महोत्सव' का नाम दिया गया, जो पवित्रता एवं संजीवनी का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय उत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, 2021 को उस दिन की याद में की गई, जब 91 वर्ष पूर्व 12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए एक नए नमक शुल्क के विरोध में अपना ऐतिहासिक 'नमक सत्याग्रह' शुरू किया था। इस स्मरणोत्सव के 75 सप्ताह हमारी स्वतंत्रता की 75$^{वीं}$ वर्षगांठ पर पूरे हुए तथा इसके विविध कार्यकलापों की शृंखला अवधि

अगले एक वर्ष, अर्थात- 15 अगस्त, 2023 तक निर्धारित की गई।

मंत्रालय और विभाग : भारत के केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

राज्य और संघ राज्यक्षेत्र : राज्य और संघ राज्यक्षेत्र स्तर के मंत्रालयों, विभागों और अभिकरणों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।

विश्व के देश : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम।

प्रतिष्ठित कार्यक्रम : 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' से जुड़े कार्यक्रमों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया।

विषयवार कार्यक्रम :

1. स्वतंत्रता संग्राम- इतिहास में मील के पत्थर, गुमनाम नायकों आदि को याद करना;
2. विचार@75- भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना;
3. समाधान@75- विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना;
4. कार्य@75- नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना;
5. उपलब्धियां@75- विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन।

उपर्युक्तानुसार सैकड़ों क्रियाकलाप आयोजित किए जाने निश्चित हुए। ये नागरिकों के बीच भारतीय गर्व, एकता, और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का उद्देश्य रखते हैं। यह उत्सव हमें हमारे देश की महानता, संस्कृति और एकता को समझने का अवसर देता है तथा हमें स्वतंत्र भारत के उज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित करता है। यह भारत 2.0 को सक्रिय करने के, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की क्षमता रखता है, आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ इसका मार्गदर्शन करता है। संक्षेप में कहा जाए तो इस उत्सव के अंतर्निहित पहलू अत्यंत गूढ़ हैं।

प्रस्तुत लेख के विषय की अपेक्षानुरूप हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय यह है कि यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसका इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी वह भाषा है, जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी देश भर में बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाती है और विभिन्न भाषाओं का एक संयोजन है। हिंदी भाषा देश की एकात्मता को बढ़ावा देती है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रतिष्ठित करती है। इस समय यह विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तथा एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर रही है।

अब हम यह समझते हैं कि हिंदी का भारत के अमृत महोत्सव से क्या संबंध है? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। सोलहवीं शताब्दी में भारत जब मुगलों के अधीन था, तब उनसे मुक्ति पाने के लिए राज्यों, रियासतों और रजवाड़ों के स्तर पर संघर्ष हुआ करते थे। मुगलों के बाद अठारहवीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने हम पर शासन प्रारम्भ किया, तब धीरे-धीरे उन्नीसवीं शताब्दी में पूरे देश के लोग अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए प्रयास करने लगे। विडंबना यह थी कि इस विशाल भू-भाग वाले देश में अनेक जातियों, पंथों और संप्रदायों के लोग रहते थे, जिनके भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज, परम्पराएं, भाषाएं और भूषाएं थीं। इस विविधता में एकता पैदा करना एक बड़ी चुनौती लग रही थी।

इसी बीच देश में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चल रहे विरोध में 09 जनवरी, 1915 को अफ्रीका से भारत में महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम का नेतृत्व किया। वे इस बात को जान गए थे कि इस देश को जोड़ने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता है ताकि सारी जनता को एक साथ मिलाकर विदेशी राज-सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। देश में एकता की कड़ी की तलाश में उन्होंने पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत का भ्रमण करके जन-भावना समझने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसी संपर्क भाषा है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से सरलतापूर्वक संवाद स्थापित कर सकते हैं। यह भारत के लोगों को आपस में जोड़ सकती है। उन्हें यह प्रबल विश्वास हो गया

कि हिंदी इस देश को स्वतंत्र कराने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

हिंदीतर भाषी होते हुए भी, महात्मा गांधी हिंदी की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था, "जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में बोलते हैं और सारे कामों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।"

महात्मा गांधी ने इसके बाद पांच 'हिंदी दूत' उन राज्यों में भेजे, जहां पर इस भाषा का ज्यादा प्रचलन नहीं था। इन पांच दूतों में महात्मा गांधी के सबसे प्रिय, छोटे बेटे देवदास गांधी तथा स्वामी सत्यदेव भी थे। ये पांच हिंदी दूत हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए सबसे पहले तत्कालीन मद्रास स्टेट पहुंचे, जो आज का तमिलनाडु है। यहां 'हिंदी प्रचार आंदोलन' प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप वर्ष 1918 में "दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा" का गठन हुआ।

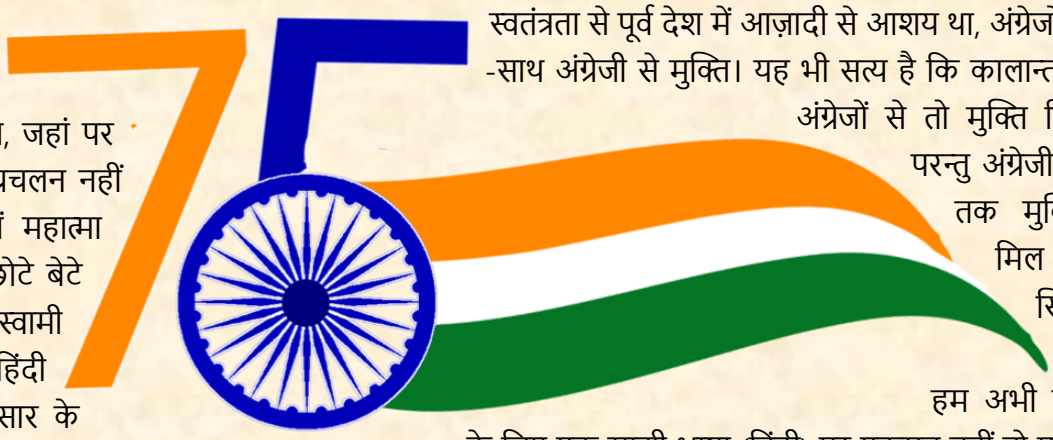

आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने देश के पत्रकारों संपादकों और प्रकाशकों को भी हिंदी भाषा को अपनाने तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए जोड़ा और उन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, आदि प्रमुख थे। गांधी जी ने स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन, नैतिकता, अस्पृश्यता, राष्ट्रीयता, ग्राम स्वराज, महिला जागरण जैसे स्वाधीनता की बुनियाद में चलाए जा रहे आंदोलन में भाषा और लिपि के प्रश्नों को, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में, हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि हेतु संकल्पित होकर कार्य किया था।

हिंदी ने भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काल में हिंदी भाषा ने लोगों को एक साथ लड़ने और संघर्ष करने के लिए एक आधार प्रदान किया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और महानायकों ने हिंदी को अपनी आवाज़ बनाकर अपने संदेशों को देश के लोगों तक पहुंचाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया।

गांधी जी का हिंदी के प्रति इस सीमा तक आग्रह रहता था कि जो भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है, पहले उसे हिंदी भाषा आनी चाहिए। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व देश में आज़ादी से आशय था, अंग्रेजों के साथ -साथ अंग्रेजी से मुक्ति। यह भी सत्य है कि कालान्तर में हमें अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, परन्तु अंग्रेजी से अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। स्थिति यह है कि हम अभी तक देश के लिए एक साझी भाषा (हिंदी) पर एकमत नहीं हो पाए। देशी भाषाओं के बीच की असहमति में विदेशी भाषा (अंग्रेजी) राज कर रही है।

इस वर्णन से ज्ञात हो रहा है कि हिंदी और आज़ादी दोनों में अटूट साथ रहा है और आज जब हम 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पूरे धूमधाम के साथ मना रहे हैं, तो हिंदी इससे कैसे अलग रह सकती है? यह संबंध इस बात से भी उजागर होता है कि आज़ादी के इस महोत्सव के दौरान 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि आने वाले 25 साल के लिए हमें निम्नलिखित 'पंच-प्रण' पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा-

1. विकसित भारत राष्ट्र;
2. गुलाम मानसिकता से मुक्ति;
3. अपनी विरासत पर गर्व;

4. एकता और एकजुटता;
5. नागरिक कर्तव्य बोध।

उपर्युक्त के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, वर्ष 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, आगामी 25 वर्षों की पूरी योजना देशवासियों के समक्ष रख दी है। देखने में तो ये पाँच प्रण प्रत्यक्ष रूप से हिंदी से जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते, परन्तु अगर हम इन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार-मंथन करें तो कहीं-न-कहीं इनमें हिंदी का विकास, उत्थान और प्रगति भी निहित हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हिंदी भाषा एक माध्यम या सहायक ही लग रही है। नीचे इनका बिंदुवार विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. विकसित भारत का लक्ष्य : पहले प्रण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष एक बड़ा संकल्प रखा है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाएंगे। इस दृष्टि के साथ आगे बढ़ना कि हमारा देश एक विकसित भारत होगा और इससे कम कुछ भी नहीं। निश्चित ही, यदि आज हम पूरा वैश्विक परिदृश्य देखें तो यह परिलक्षित होता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने अपने देश का विकास अपनी भाषा के माध्यम से किया है, न कि विदेशी या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। इसलिए अगर हम भी भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो पहले हिंदी को आगे लाना होगा और यह हिंदी ही इस देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. औपनिवेशिक मानसिकता के समस्त चिह्नों को मिटा देना : इसके अंतर्गत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आग्रह किया गया है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है, तो उसे बचने नहीं देना है। हमारे अस्तित्व एवं आदतों अथवा चेतना के गहनतम कोनों में भी, दमन का कोई अंश नहीं होना चाहिए। हिंदी के संदर्भ में देखें तो ज्ञात होता है कि हमने अंग्रेजों की परतंत्रता से बहुत पहले ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी, परन्तु मानसिक रूप से हम अभी भी दास हैं। मानो, हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी कर रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों की लंबी परवशता के कारण गुलामी का रक्त अभी तक हमारी नसों में दौड़ रहा है। हमारी सोच और विचारों पर अंग्रेजी हावी है। इसलिए हम अपने व्यवहार और काम-काज में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अतः दिमाग से अंग्रेजी का भूत भगाना आवश्यक है।

3. अपनी जड़ों पर गर्व करें : हमें हमारी 4000 वर्षों से भी अधिक पुरातन सभ्यता पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह वही विरासत है, जिसने अतीत में भारत को अपना स्वर्णिम काल दिया था तथा जिस पर हम एक और उन्नत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हमारी महान परंपराएं या मान्यताएँ सांस्कृतिक गौरव का विषय हैं। हमें इन्हें पोषित करना चाहिए तथा इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। विदेशी रीति-रिवाजों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। भाषा के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। हमें अपनी भाषाओं को समृद्ध करना है न कि अंग्रेजी भाषा के आडंबर और दिखावे में जीना है। हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, यदि हम इस भाषायी विरासत का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति भी विकृत हो जाएगी।

4. एकता और एकजुटता : इसका मूल ध्येय है, हमारे प्रयासों में एकजुटता सुनिश्चित करना। भारत विविधताओं से भरा देश है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, भाषाओं, भोजन, पहनावे, त्योहारों आदि के कई शृंखला समूहों को अपने में समेटे हुए है। एक एकीकृत शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न आत्मनिर्भर भारत की नींव रहा है। इस प्रसंग में स्पष्ट है कि इस देश में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो भारत की एकता की कड़ी होने के नाते इस प्रण की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। हिंदी प्रारंभ से ही जन-जन की संपर्क भाषा रही है और यह भी जग विदित है कि हिंदी ने ही इस देश को एकजुट कर स्वतंत्रता दिलाई। अतः इस महोत्सव के माध्यम से हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिस्थापित करके इसकी गरिमा और अधिक बढ़ानी है।

5. नागरिकों में कर्तव्य की भावना : इस प्रण का मंतव्य यह है कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और उसकी उन्नति में योगदान देने का प्रयास करना। किसी भी स्वतंत्र देश में नागरिकों के अधिकार तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते, जब तक वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करते। इस अमृत महोत्सव में सभी नागरिकों, चाहे वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, को प्रण लेना है कि संविधान में निर्धारित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। हिंदी को भी इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ-साथ संविधान में

राजभाषा का दर्जा मिला है। अतः इसका भी यथोचित सम्मान करना, हमारे कर्तव्यों की श्रेणी में आता है। यदि हिंदी को अपने ही देश में आदर नहीं मिलेगा तो विश्व में इसकी स्वीकार्यता कैसे बनेगी?

ऊपर पंच प्रण की समीक्षा से यह बात प्रकट हो रही है कि ये केवल प्रतिज्ञाएं नहीं हैं, अपितु हमारे आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण-शक्ति हैं। इनसे जहां एक और हमारे इतिहास की धरोहर को सम्मान मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को अपना अधिकार मिलेगा, क्योंकि इसमें अगोचर हिंदी-संदेश विद्यमान है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' हिंदी के बिना तब तक अधूरा है, जब तक इस देश को अंग्रेजी के प्रभुत्व से मुक्ति नहीं मिल जाती। यह ठीक उसी प्रकार होना चाहिए, जैसे इस देश ने 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी। इस दिशा में, संपूर्ण जगत में प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी का डंका बजाया जाना, चिकित्सा और तकनीकी पाठ्यक्रमों को हिंदी में पढ़ाया जाना, न्याय-व्यवस्था में हिंदी लाना आदि आज़ादी के अमृत काल की हिंदी-गतिविधियों में से ही तो हैं। इसलिए यह हिंदी भाषा के महत्व, विकास, साहित्यिक योगदान और उपयोग को भी समर्पित है। हिंदी भाषा को आज़ादी मिलने का अमृत महोत्सव भारतीय समाज के लिए एक स्वाभिमान और गर्व का क्षण है। यह महोत्सव हिंदी भाषा को सम्मानित, प्रचारित करने और संवर्धित करने का एक अवसर है।

निष्कर्ष

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' हमें अपनी छुपी क्षमताओं का पता लगाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तविक, सहयोगात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। यह आज़ादी के बाद से प्रगतिशील भारत की 75 साल की यात्रा और गतिविधियों एवं उपलब्धियों को याद करता है। यह 'विज़न इंडिया@2047' के लिए समारोहों की शुरुआत का भी प्रतीक है।

स्वतंत्रता, एकता, लोकतंत्र और विकास के इस पर्व में 'आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत' केवल शब्द नहीं, अपितु देशवासियों के लिए एक मंत्र बन गया है। यह एक ऐसा अमृत काल है, जो हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करेगा। हम भारत को फिर से 'सोने की चिड़िया' और 'विश्व गुरु' कह सकेंगे।

अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना, स्वाधीनता के प्रतीक हिंदी भाषा के प्रति समर्पण और स्वाधीनता संग्राम के महान पुरुषों की याद दिलाना है। यह हमें हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को समझने और मानने का मौका देता है और यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता और भाषिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। इस महोत्सव के माध्यम से हिंदी भाषा और भारतीय स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जनता के बीच जागरूकता फैलेगी और उन्हें इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव में हिंदी को यथोचित भूमिका मिली है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम की भाषा थी। इसलिए यह हिंदी भाषा के महत्व, विकास, साहित्यिक योगदान और उपयोग को भी समर्पित है। हिंदी भाषा को आज़ादी मिलने का अमृत महोत्सव भारतीय समाज के लिए एक स्वाभिमान और गर्व का क्षण है। यह महोत्सव हिंदी भाषा को सम्मानित, प्रचारित करने और संवर्धित करने का एक अवसर है। ■

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए वृहत कोटि कार्यालयों में क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के दोनों राजभाषा अधिकारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

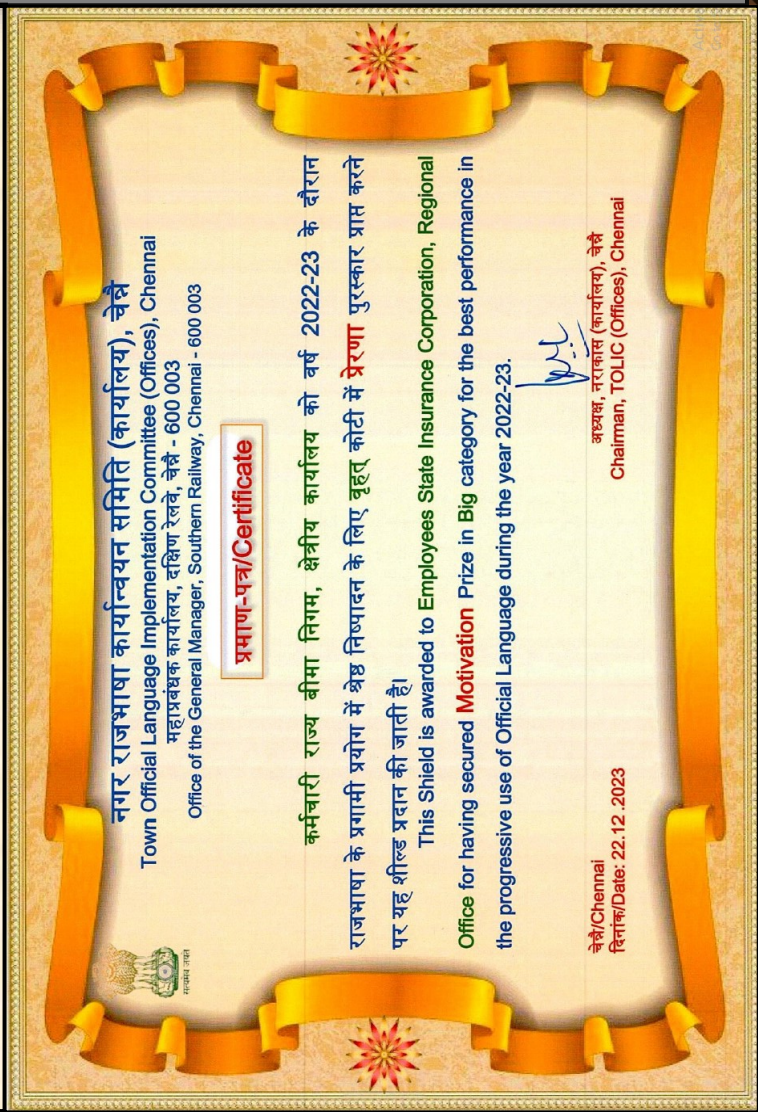

ईएसआईसी
सामाजिक सुरक्षा हितलाभ योजना

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पर विज़िट करें

www.esic.gov.in

@esichq

@esichq

@esichq

@esichq

@esichq

@esichq

@esichq

QR कोड स्कैन करें